मंजरी

स्त्री के मन की

अप्रैल, 2015 अंक 4

ऑनर किलिंग

सम्मान के नाम पर

मौत

दूध से हमने किया तैयार
हँसता–खेलता बिहार
सुधा
श्वेत समृद्धि
COMFED
बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
-mail : comfed.patna@gmail.com,
www.sudha.coop

सुधा
का नया UHT एलेकस्टर दूध पैक, बिना फ्रिजिंग
रहे अब 90 दिन तक, शुद्ध और ताजा
काटो खोलो पियो
100% SAFE
Preservation 90 Days Without Refrigeration
नजदीकी सुधा बूथ पर उपलब्ध
No preservatives added
बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
www.sudha.coop

Sudha
An alliance
with healthy life
Bihar/Jharkhand's No.1 Dairy brand
Sudha
सेहत, स्वाद, अनगिनत खुशियाँ
BIHAR STATE MILK CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.
COMFED

ये दूध नही दम है,
पियो जितना कम है।
Sudha
Best
Brand
Best
Milk
सेहत,स्वाद,अनगिनत खुशियाँ
बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
E-mail : comfed.patna@gmail.com
www.sudha.coop

लाखों महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाने
में कॉम्फेड का योगदान
बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.

संकल्पना

इक्विटी फाउंडेशन लंबे अरसे से एक वेब पत्रिका शुरू करने के बारे में सोच रहा था। मकसद था महिला और समाज के मुद्दों को शिद्दत से उठाना। जब हमने चीजों को एक साथ कर उसे पत्रिका के रूप में सजाने के बारे में सोचना शुरू किया तो इस क्रम में कई लोगों से जुड़े। हमने महिलाओं को पत्रिका से जोड़ने की कोशिश की। हम दोस्तों से मिले और परिचितों से बात की। महिलाओं के सामाजिक समूहों और शिक्षाविदों के एक साथ जुड़ने के बाद जो स्वरूप सामने आया वह है 'मंजरी'।

मंजरी यानी कोंपल। शाखों में फूटने वाली नन्ही पत्तियां। नई शाखों का सृजन करने वाले इन कोंपल को कुम्हलाने से बचाना जरूरी है नहीं तो पूरे पेड़ का विस्तार कुंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह स्त्री के मन की मंजरी को सहेजने की जरूरत है वरना पेड़रूपी समाज विकृति का शिकार हो जाएगा। हमारा प्रयास इसी मंजरी को पुष्पित पल्लवित करने का है जो औरत की सोच और उसकी कोशिश को सही दिशा प्रदान कर सके।

मंजरी के सृजन के दौरान पहले तो 10-30 लोगों का एक ढीला-ढाला समूह बना। विचार आते गए। अलग-अलग विषयों और अलग-अलग मुद्दों पर। समूह में कुछ अनमनी महिलाएं थीं तो कुछ सहानुभूति दिखाने वाले पुरुष भी। कुछ महज एक या दो बैठकों में शामिल हुए तो कुछ जब मन में आया, आ गए। बाकी बचे लोगों ने 'मंजरी' को मुकाम तक ले जाने का दायित्व अपने कंधों पर लिया। 'मंजरी' का लक्ष्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां बुद्धिजीवियों को उनकी खुराक मिले तो शोधकर्ताओं की जिज्ञासा शांत हो। क्रियान्वयन के लिए बहस और तर्क के रास्ते हमेशा खुले रहें। इक्विटी की लगातार कोशिश रही है शोध और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को पाटना। ऐसे में हमारा मानना है कि शोध तब तक अप्रासंगिक हैं जब तक कि इनका लोगों की जिंदगी और उनके क्रियाकलापों से जुड़ाव न हो। ठीक इसी तरह सिविल सोसाइटी के तौर पर अगर हम जमीनी सच्चाई से वाकिफ न रहें, जिनमें सामाजिक प्रक्रियाएं और ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश है और जो समाज में रहने वाले लोगों के मूल्यों और उनके चरित्र को आकार देते हैं, तो किसी भी कोशिश का कोई मतलब नहीं बनता है।

'मंजरी' एक उद्यम है, क्रियाशीलता को शोध आधारित रचना और आलोचना के नजरिये से देखने का जो महिला अधिकारों के साथ-साथ जीवन के हर पहलू को इंगित करे। नियमित गैर सरकारी संगठनों और अकादमिक तंत्रों से इतर 'मंजरी' राजनीति और आदर्शवादिता को लांघ कर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता के आधार पर मापती है। 'मंजरी' उन तमाम कार्यकर्ताओं, विद्वानों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, प्रोफेशनल, गृहणियों और नीति निर्धारकों द्वारा पढ़ी जाएगी जो किसी समस्या के लिए समाधान आधारित नवीन दृष्टि और पृथक सोच रखते हैं। यह पत्रिका अपने पाठकों को जेंडर आधारित मुद्दों को जैविक और सामाजिक आधार पर परखने की छूट देती है। व्यक्ति और समाज की विचारधारा में जेंडर को लेकर क्या बदलाव आये और उनका क्या असर हुआ, इसकी पूरी पड़ताल करने की आजादी लोगों को होगी। यह पत्रिका एक कोशिश है पड़ताल की प्रवृत्ति को जगाने की ताकि लोग तेजी से बदलते और विविधताओं से भरे समाज में पूरी क्षमता से काम करने को तैयार हो सकें जिसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव भी एक अहम मुद्दा होगा। महिला समानता और अधिकारों पर 'मंजरी' के दखल से उन बेशुमार कार्यकर्ताओं, संगठनों और विद्वजनों को फायदा होगा जो दहेज, यौन प्रताड़ना, महिला अधिकारों, महिला आरक्षण, आर्थिक सुधार और अल्पसंख्यक समुदायों के निजी कानूनों में रुचि रखते हैं।

पत्रिका का मकसद

इक्विटी फाउंडेशन खुद को सुविधाविहीन महिलाओं को उनकी पूर्ण क्षमता से अवगत कराने और समाज में उनके क्रियाशील प्रभुत्व को स्थापित कराने की दिशा में वाहक के तौर पर देखता है। देश के विकास के हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की राष्ट्रीय नीति तभी सफल हो पाएगी जब महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को कमतर आंकने वाले संस्थान और विचारों को हतोत्साहित किया जाये या उनका पूरी तरह सफाया किया जाय। 'मंजरी' की परिकल्पना समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के जीवन और उनके स्तर को प्रभावित करने वाले विचारों के निर्माण, विकास और उनके प्रसार के लिए की गई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में समानता संबंधी मुद्दों को इस प्रकार समग्र रूप में देखने की जरूरत है जो असमानता की अंतरवर्गीय विशेषताओं को जाहिर कर सके। समानता पर आधारित 'मंजरी' के ज्यादातर आलेख भिन्न-भिन्न समूहों को निशाने पर रखते हैं जो कुछ हद तक बेहद जरूरी भी है। इसलिए यह पत्रिका कुछ समूहों के कुछ विशेषाधिकारों के पूर्ण निष्कासन और अंतरवर्गीय दृष्टिकोणों के स्थापन के बीच नियंत्रक की भूमिका में होगी जो नीति निर्धारण और योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान असमानता को उसके तमाम स्वरूपों के साथ सामने रखने में कारगर होगी। ऐसे में इसका मकसद लैंगिक भेदभाव के निर्मूलन की ओर वह विवेचनात्मक चर्चा छेड़ने का है जो वर्तमान परिदृश्य में शोधों का एजेंडा तय कर सके और एक बेहतर वैकल्पिक प्रस्ताव का सृजन कर सके। अब तक यह संगठन कार्यशाला, कांफ्रेंस और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के जरिये अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता रहा है लेकिन अब इस पत्रिका के माध्यम से यह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अतिथि लेखकों, जिनमें विद्वजन, अधिवक्ता, सरकार, पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता है, को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

संपादकीय

संरक्षण

डा. उषा किरण खान
प्रख्यात लेखिका एवं साहित्यकार

मणिकांत ठाकुर
प्रख्यात पत्रकार

डा. रेणु रंजन
प्रोफेसर (सेवा.), समाज शास्त्र
पटना विवि

डा. भारती एस कुमार
प्रोफेसर (सेवा.), इतिहास
पटना विवि

प्रो. डेजी नारायण
प्रोफेसर, इतिहास, पटना विवि

परामर्श

मनीष कुमार
ब्यूरो चीफ, एन.डी.टी.वी. बिहार

कीर्ति
परियोजना प्रबंधक, महिला सामाख्या, बिहार

डा. शरद कुमारी
समाज सेविका

अंजिता सिन्हा
पत्रकार

डा. मधुरिमा राज
लेखिका

अपने परिवार के सम्मान को बनाये रखने के नाम पर परिवार के किसी सदस्य की हत्या, खासकर महिला सदस्य की हत्या को ऑनर किलिंग कहा जाता है। हत्या के पीछे उक्त महिला की किसी शर्मनाक हरकत जैसे प्रेम विवाह करने या घर से भाग जाने को आधार बनाया जाता है। दुनिया में हर साल करीब पांच हजार लोगों (ज्यादातर महिलाओं) की हत्या ऑनर किलिंग के तहत कर दी जाती है और भारत का भी इस आंकड़े को बढ़ाने में महती योगदान है। शर्म की बात ये है कि देश में ऑनर किलिंग की संख्या हर दिन और हर साल बढ़ती जा रही है और ज्यादातर मामलों में प्रेम विवाह इसके कारण बनते हैं। ऐसे में जरूरत न केवल एक ऐसे कानून को लाने की है बल्कि उसे सख्ती से लागू करवाने की भी है जो इस क्रूर अपराध पर तेजी से लगाम लगा सके।

तथाकथित सम्मान के नाम पर जान लेने का यह काला कानून देश के कई राज्यों में लागू है जिनमें हरियाणा, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्य प्रमुखता से शामिल हैं जहां जाति आज भी शादियों को तय करने का सबसे प्रमुख आधार है। वैसे युवा जोड़े जो सदियों से चली आ रही जाति प्रथा को तोड़कर अन्य जातियों और समुदायों में शादी करने की जुर्रत करते हैं उन्हें बहुधा गांव या समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और कई बार मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे मौकों पर स्वयंभू गांव प्रधानों और जाति आधारित समुदायों, जिन्हें खाप पंचायत भी कहा जाता है, की भूमिका बढ़ जाती है और वे प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों पर हमले करने जैसे आदेश पारित करते हैं। उनकी दलील होती है कि ऐसा वे अपने समुदाय के सम्मान को बनाए रखने के लिए करते हैं।

इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन के एक अध्ययन में पाया गया कि देश में ऑनर किलिंग के करीब 900 मामले अकेले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सामने आते हैं जबकि बाकी अन्य राज्यों से कुल मिलाकर तीन सौ मामले दर्ज किये जाते हैं। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग के भारत के उत्तरी राज्यों में किये एक अध्ययन में पाया गया कि इन इलाकों के 92 फीसद लोगों ने ऑनर किलिंग को गलत ठहराया। पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) के एक बयान के मुताबिक देश में वर्ष 2009 में ऑनर किलिंग के 647 मामले आये जो 2008 के 574 के मुकाबले 13 फीसद ज्यादा थे।

2010 में निरूपमा पाठक हत्याकांड ने देश और विदेश की मीडिया में सुर्खियां बटोरी थीं। 22 साल की पत्रकार निरूपमा तीन महीने की गर्भवती थी और अप्रैल के अंतिम हफ्ते में अपने घर में मृत पाई गई थी। निरूपमा के परिवार के मुताबिक उसने आत्महत्या की थी लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने एक दूसरी ही कहानी को सामने लाकर रख दिया। निरूपमा की उसके मां-बाप ने मिलकर हत्या कर दी थी क्योंकि वह एक लड़के से प्रेम करती थी और उसका बच्चा उसके गर्भ में था। इस मामले ने पढ़े-लिखे और लड़कियों की आजादी का स्वांग रचने वाले तथाकथित समाज की पोल खोल कर रख दी थी। अपनी पसंद से विवाह करने और शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने के किसी वयस्क के अधिकार का यहां कोई मतलब नहीं था। जाहिर है सम्मान के नाम पर बेटी की हत्या कर देने से किसी का सम्मान नहीं बढ़ता है।

वर्ष 2011 में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था "यदि किसी व्यक्ति को अपने किसी रिश्तेदार के व्यवहार से दुख या नाराजगी है तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति से अपने संबंधों को तोड़ा जा सकता है। लेकिन किसी भी हाल में वह संबंधित व्यक्ति की जान लेकर या धमकी देकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है।" कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति के मामले

हमारी बात

मुख्य संपादक

नीना श्रीवास्तव

संपादन

दीपिका

शोध

नीना श्रीवास्तव
दीपिका

प्रबंधन/व्यवस्था

राहुल कुमार

प्रकाशन

इक्विटी फाउंडेशन

सहयोग

जीवक हार्ट हॉस्पीटल, पटना
केनरा बैंक
भूषण इंटरनेशनल, पटना
सेज पब्लिकेशन
बंसल ट्यूटोरियल, पटना
द ऑफसेटर, पटना
सुधा डेयरी

संपर्क

123 ए, पाटलीपुत्र कॉलोनी
पटना, 13
फोन : 0612-2270171
ई-मेल
magazinemanjari@gmail.com

की सुनवाई कर रहा था जिसने अपनी बेटी की गला काटकर हत्या कर दी थी क्योंकि उसकी बेटी उसकी मर्जी के खिलाफ दूसरे व्यक्ति से संबंध बढ़ा रही थी। भारत में मौत की सजा का प्रावधान है लेकिन 1980 के बाद से इसे केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही लागू किया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि जिन मामलों में मौत की सजा दी जा चुकी है उनमें भी इसे लागू नहीं किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2011 के बीच देश में 435 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई लेकिन एक को भी फांसी नहीं दी गई।

संयुक्त राष्ट्र की दो प्रमुख रिपोर्टों में ऑनर किलिंग को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट 'डिक्लरेशन ऑन दि एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन (1993)' और 'वर्किंग टुवार्ड दि एलिमिनेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन कमिटेड इन दि नेम ऑफ ऑनर (2003)' हैं। लेकिन ऑनर किलिंग जैसी कुरीतियों को समूल नष्ट करने के लिए ज्यादा गंभीर हस्तक्षेप की जरूरत है। लिंग आधारित समानता के लक्ष्य को नहीं पाया जा सका है और इज्जत के नाम पर मौत देने की परंपरा आज भी जारी है। पूरा सिस्टम अभी भी पितृसत्तात्मक और असंवेदनशील बना हुआ है। 'यूएन डिक्लरेशन ऑन दि एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन' में कहा गया है " महिलाओं के खिलाफ हिंसा ऐतिहासिक रूप से स्त्री और पुरुष के बीच सत्ता के असमान बंटवारे की अभिव्यक्ति है। इसने भेदभाव को आगे बढ़ाया और पुरुष द्वारा महिला पर हिंसा की मानसिकता को इस आधार पर प्रचारित किया कि केवल यही महिलाओं को दूसरे दर्जे पर कायम रखने की मशीनरी है।" हैरत की बात है कि आज कई अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों और संवैधानिक कानूनों के मौजूद रहने के बाद भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर काबू नहीं पाया जा सका है। यहां तक कि सीईडीएडब्ल्यू और विभिन्न मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों के बाद भी हर रोज दुनिया के किसी न किसी कोने में एक महिला सम्मान के नाम पर मारी जा रही है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि ऑनर किलिंग ने सम्मान के बजाय नुकसान ही ज्यादा पहुंचाया है। परिवारों को यह समझना चाहिए कि अपनी ही संतान की जान लेने में कोई सम्मान नहीं है और जान ले लेना ही किसी समस्या का समाधान नहीं है। 21वीं सदी में यह समझा जाना चाहिए कि जब 18 साल का कोई व्यक्ति अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनने की समझ और आजादी रखता है तो वह अपना जीवनसाथी चुनने की भी समझ रखता है। एक पहल 2 अगस्त, 2010 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में सामने आई थी जब ऑनर किलिंग के विरोध में वहां के युवाओं ने एक लवर्स पार्टी का आयोजन कर पूरे देश के लोगों से तथाकथित पंचायतों के खिलाफ खड़े होने की अपील की थी। ऑनर किलिंग एक पाप है और इसमें लिप्त लोगों को इतनी सख्त सजा दी जानी चाहिए कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा करने से पहले दो बार सोचे।

नीना श्रीवास्तव

अनुक्रमणिका

संकल्पना

हमारी बात

- संपादकीय

कंगारू अदालतें

- सम्मान के नाम पर जान लेते
  'पंच परमेश्वर'

अतीत

- अरब समाज में छिपी है जड़

वर्तमान

- जान ले रही हर बिरादरी

विचार मंच

- ऑनर किलिंग : एक अपराध
  डा. उषा किरण खान
- सम्मान के नाम पर अपराध
  प्रो. विभूति पटेल

ऑनर किलिंग के रूप

- औरत को यातना देने के हैं कई बहाने

विचार मंच

- कहां है कानून का राज
  पूजा अवस्थी
- जरूरत नये कानून की

प्रस्तावित बिल

- ऑनर किलिंग पर लगे रोक

शर्मनाक

- चर्चित मामले

बिहार में ऑनर किलिंग

परदेस में ऑनर किलिंग

आंकड़ों की जुबानी

स्रोत : लॉटीचर्स.नेट, एचवीव्ही-अवेयरनेस.कॉम, दि गार्जियन, इंडियाटीवीन्यूज.कॉम, इंडियाटुगेदर.कॉम, लॉ रिसोर्स इंडिया, प्रेस इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया, गुगल.कॉम, हिन्दुस्तानटाइम्स.कॉम, विकीपीडिया

कंगारू अदालतें

सम्मान के लिए जान लेते 'पंच परमेश्वर'

भारत के इतिहास में पंचों को परमेश्वर कहा गया है। उनकी वाणी सत्य और उनके फैसले अटल माने जाते थे। रोज ब रोज की समस्याएं पंचायतों के सामने चुटकी में हल कर दी जाती थीं। पर समय के साथ-साथ कुछ पंचायतों ने खुद को खुदा मान लिया और अपने फैसलों को ब्रह्मा का आदेश बना दिया। पंच अब गांव के झगड़े सुलझाने वाले समझदार नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पर राज करने वाले ठेकेदार बन गये। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई पंचायतें आज भी अपने तालिबानी फरमानों से लोगों की जिंदगी को नरक बनाने में लगी हैं।

खाप पंचायतें

भारत में खाप पंचायतों का जिक्र आते ही तानाशाही और तालिबानी फरमानों की याद आ जाती है। देश में ऑनर किलिंग से जुड़े मामले सबसे ज्यादा खाप पंचायतों वाले इलाकों से ही सामने आते हैं। पश्चिमी यूपी, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा में अपनी जबर्दस्त पैठ रखने वाली इन पंचायतों के आदेशों की अवहेलना करने का दम न तो निरीह जनता में है और न ही ताकतवर सियासतदारों में। गांव के ताकतवर जाट समुदाय से आने वाले दस से पंद्रह बुजुर्ग मिलकर खाप पंचायत का निर्माण करते हैं और गांव के युवाओं की तकदीर पर अपना नियंत्रण रखते हैं। ये पंचायतें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन की मांग करती हैं जिसके द्वारा समान गोत्र में विवाह को प्रतिबंधित किया जा सके। खाप पंचायत यह मानती हैं कि एक गोत्र अथवा एक ही गांव में विवाह करने वाले लड़के और लड़कियां आपस में भाई-बहन होती हैं। इन पंचायतों को गांवों में महत्व इसलिए भी मिलता है क्योंकि ये एक सुनवाई में फैसला सुना देते हैं जबकि देश की अन्य अदालतों में फैसला आने में वर्षों लग जाते हैं। लोग आंखें मूंद कर पंचायत के फैसलों को मानते हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि फैसला सभी पहलुओं को जांचने के बाद लिया गया है और यह भी कि अगर वे देश की अदालतों में जाएंगे तो वहां बेकसूर होने के बाद भी उन्हें सजा सुना दी जाएगी। खाप पंचायतें अपने आदेशों का कड़ाई से पालन करवाती हैं। कई बार या तो आरोपी को मार दिया जाता है या उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। खाप के कानूनों की अवहेलना करने के आरोप में अब तक कई युवा अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। हरियाणा के कई गांवों में किशोरवय लड़कियों को धमकाने और उनकी जान लेने तक के मामले सामने आए हैं। कई जगहों पर माता-पिता को उनकी जवान होती बेटियों को लेकर इतना डरा दिया जाता है कि वे खुद अपनी बेटियों को जहर देकर या जलाकर मार देते हैं। पुलिस और कानून का भय दिखाकर खाप पंचायतें लोगों से क्रूर अपराध करवाने में कामयाब हो जाती है। परिवार के सम्मान को ढोने का जिम्मा लड़कियों और महिलाओं के कंधे पर डालकर पंचायतें सम्मान के नाम पर उनकी जान ले लेने तक का फरमान जारी कर देती हैं। यहां पर लड़कियों का पक्ष जानने की जरूरत नहीं समझी जाती क्योंकि खाप उन्हें किसी अधिकार के काबिल ही नहीं समझते। अगर किसी लड़की ने खाप का कानून तोड़ा तो उसे उसकी कीमत अपनी जान या इज्जत देकर चुकानी पड़ती है। कभी-कभी किसी लड़के की गलती की सजा भी उस लड़के के घर की औरतों को भोगनी पड़ती है। खाप के कड़े कानूनों के कारण ही गांवों में लड़के और लड़कियों को अलग-अलग रखने के प्रयास किये जाते हैं। उनके स्कूल अलग-अलग होते हैं। लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है ताकि परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचने की गुंजाइश न रहे। खाप पंचायतें लड़कियों के हर अधिकार और हर आजादी को छीन लेना चाहती हैं। वे क्या पहनेंगी और किससे बात करेंगी, यह तक पंचायतें तय करती हैं।

देश में खाप पंचायतों के प्रभुत्व के पीछे सबसे बड़ा कारण पंचायती राज व्यवस्था का मजबूत न होना है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गये पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों को लेकर समुचित व्यवस्था न किये

गौर कीजिए

पाकिस्तान में ऑनर किलिंग को कारो-कारी के नाम से जाना जाता है।

जाने से ये स्वयंभू पंचायतें अपना स्थान बना लेती हैं। खासकर हरियाणा में जहां की कुल जनसंख्या का 25 फीसद जाट हैं। यहां की राजनीति में इस समुदाय का दबदबा है जिसके कारण कोई दल और सरकार इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पातीं। यहां तक कि पुलिस भी खाप पंचायतों के फरमानों की अवहेलना नहीं कर पाती।

खाप पंचायतों का इतिहास

हमारे देश में खाप पंचायतों की शुरुआत 600 ईसवी से मानी जाती है। मानवीय सभ्यता के इतिहास में जैसे-जैसे गांवों का निर्माण शुरू हुआ वैसे-वैसे लोगों में आधुनिकीकरण और शिक्षा का प्रभाव भी बढ़ने लगा। फिर भी देश के कई हिस्सों में ऐसे गांव और जनजाति मौजूद थे जो अपनी पुरानी शैली और परंपरा को बदलने के लिए राजी नहीं थे। न्याय करने और शासन चलाने का इनका अपना अंदाज था और इसे उन्होंने पूरी मजबूती से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित भी किया। गांव के कुछ दबंग लोगों ने मिलकर अपना समूह बनाया और शासन किया। इस समूह को पंचायत और इसके प्रमुख को सभापति कहा गया। 'खाप' शब्द का इस्तेमाल इन पंचायतों की भौगोलिक स्थिति के कारण किया जाता है। वर्तमान में यह एक राजनीतिक-सामाजिक इकाई का रूप धारण कर चुका है और सामान्यतः इसमें 84 गांवों का समूह होता है। सभी खाप पंचायत अपने एक-एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सर्व खाप पंचायत का निर्माण करते हैं। अपने राजनीतिक-सामाजिक प्रभावों के कारण ही ये पंचायतें जाति, उपजातियों और समुदायों तक राज करती हैं। मामले की गंभीरता और उसके असर के आधार पर खाप और सर्व खाप पंचायतें इनकी सुनवाई करती हैं। समस्या जितनी गंभीर होगी, पंचायत का स्तर उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा।

वेद पाल और सोनिया का मामला

हरियाणा के दो गांवों में रहने वाले वेद पाल और सोनिया के मामले ने देश की हर अदालत और पुलिस बल को खाप पंचायत के सामने बौना साबित कर दिया था। वर्ष 2009 में सामने आये इस मामले ने दिखा दिया था कि खाप हर कानून से बड़े हैं। राज्य के सिंगवाला और मटौर, इन दो गांवों से आने वाले वेद प्रताप और सोनिया एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। मां-बाप को मनाने के बाद भी जब वे राजी न हुए तो दोनों घर से भाग गये और अदालत में शादी कर ली। दोनों के गोत्र अलग-अलग थे और जाति एक ही थी। ऐसे में उन्हें लगा कि न तो खाप कानून के मुताबिक उन्होंने कोई अपराध किया था और न ही इससे परिवार के सम्मान को ठेस पहुंची है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अनजाने में उन्होंने खाप के एक कड़े नियम का उल्लंघन कर दिया है। दरअसल दोनों के गांवों की सीमा एक ही थी। खाप पंचायत के मुताबिक आस-पास के गांवों के रहने वाले लोग एक ही गोत्र के माने जाते हैं और इस तरह वे भाई-बहन होते हैं। 19 मार्च को पंचायत बैठी और दोनों की शादी को अपराध मानते हुए उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। खाप पंचायत प्रमुख परमजीत बनवाला के मुताबिक दोनों के अपराध की यही सही सजा थी। उनके मुताबिक जाटों का सम्मान सबसे ऊपर है और उसके नियमों की रक्षा के लिए लड़के-लड़कियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। अपनी सजा के डर से सोनिया और वेद पाल भाग गये लेकिन पंचायत के दवाब में और घर वालों की बातों में आकर सोनिया अपने गांव वापस आ गई। इसके बाद सोनिया के घर वालों ने उसे नजरबंद कर दिया। किसी तरह सोनिया ने अपना हाल वेद पाल तक पहुंचवाया और लिखा कि उसके घर वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वेद पाल ने इसके बाद अदालत में गुहार लगाई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया और उसे अपनी पत्नी को वापस लाने का अधिकार भी दिया। 22 जुलाई को चार पुलिसकर्मियों और एक अदालतकर्मी के साथ वेद पाल अपनी पत्नी को लाने उसके गांव गया लेकिन सोनिया के घर वालों ने उसे भेजने से इंकार कर दिया और सोनिया को एक कमरे में बंद कर दिया। इसी समय वेद पाल ने देखा कि सैकड़ों ग्रामीण हाथों में हथियार लेकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वेद पाल को खतरा भांपते देर नहीं लगी और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया लेकिन भीड़ के आगे उसकी एक न चली और लोगों ने दरवाजा तोड़कर वेद पाल को बाहर खींच लिया और कोर्ट और पुलिस कर्मियों के सामने ही उसे फांसी पर लटका दिया। खाप पंचायतों की क्रूरता की ये बस एक कहानी है। ऐसे हजारों किस्से इन गांवों की दीवारों में कैद हैं।

गैरकानूनी हैं खाप पंचायतें

देश में खाप पंचायतों की क्रूरता के सामने भले ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घुटने टकते रहे हैं लेकिन सर्वोच्च अदालत ने हमेशा इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। अप्रैल, 2011 को न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्र की खंडपीठ ने अपने आदेश में इन पंचायतों को

कंगारू अदालतें

गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा "खाप पंचायतें सम्मान के नाम पर युवक और युवतियों की हत्या किये जाने का फरमान सुनाती हैं और जाति व धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का काम करती हैं। यह पूरी तरह अवैधानिक हैं और इनका खात्मा किया जाना चाहिए। सम्मान के नाम पर हत्या से किसी का सम्मान न बचता है और न बनता है बल्कि यह एक बर्बर और शर्मनाक कृत्य है। ऐसे फरमान सुनाने वाले दुराचारी और सामंती सोच वाले लोगों को दंडित किया जान चाहिए। केवल यही एक तरीका है बर्बर पंचायतों को समाप्त करने का। इतना ही नहीं ये पंचायतें कानून को अपने हाथ में लेकर कंगारू अदालतों के समान काम करती हैं जो पूरी तरह गैरकानूनी है। मद्रास के 'पल्लन' समुदाय के एक व्यक्ति को उसके जातिवाचक शब्द से संबोधित किये जाने पर अरुमुगम सरवई को दोषी ठहराते हुए जस्टिस काटजू ने कहा कि यह ठीक है पल्लन एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल बहुधा नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। इस दौरान जस्टिस काटजू ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि थॉमस जेफरसन के आजादी के घोषणापत्र में कहा गया है " हमें आत्मबोध के इस सत्य को मानकर चलना चाहिए कि हर व्यक्ति समान है जिसे ईश्वर ने विशेष अधिकारों के साथ धरती पर भेजा है। ये अधिकार हैं जीवन जीने, आजादी और खुश रहने के अधिकार।"

खाप पंचायतों पर प्रहार करते हुए अदालन ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इन पंचायतों के फरमानों को अमल में लाये जाने पर रोक लगाने के लिए पूरा दम लगा दें। अदालन ने कहा कि यदि इन पंचायतों की क्रूरता की शिकार एक भी लड़की या लड़का हुआ तो इसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे और राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह उस जिलाधिकारी को निलंबित करे तथा इससे जुड़े अन्य अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करे। इतना ही नहीं यदि खाप पंचायत के फरमान की जानकारी होने के बाद भी यदि कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी लोगों की रक्षा करने में विफल रहता है या फरमान पर अमल हो जाने के बाद भी पुलिस दोषी व्यक्ति को पकड़ पाने में विफल रहती है तो ऐसे अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

राजनीतिक संरक्षण प्राप्त

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी इन पंचायतों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि खापों को जबर्दस्त राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खाप पंचायतों का बचाव करते हुए कहा कि ये पंचायतें समाज को गलत राह पर चलने से बचाती हैं। खट्टर से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हूडा भी इन पंचायतों का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने तो अन्य लोगों को ही अपना नजरिया बदलने की नसीहत दे डाली थी। हूडा ने साफ कहा था कि खाप पंचायतें ऑनर किलिंग का फरमान जारी नहीं करती हैं। हूडा के बाद नये-नये मुख्यमंत्री बने खट्टर ने भी खाप के पक्ष में बयान देकर जाहिर कर दिया कि सरकारें चाहे किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा की क्यों न हों, खाप पंचायतों और जाटों के प्रभुत्व को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। खट्टर ने एक निजी समाचार चैनल को दिये साक्षात्कार में कहा कि खाप पंचायतें अभिभावक की तरह नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़का या लड़की गलत राह पर चलते हैं तो खाप उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। वैसे भी यह वैज्ञानिक रूप भी सिद्ध है कि एक ही गोत्र में विवाह करना सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस बात को खारिज कर दिया कि खाप पंचायतें भारतीय कानून के दायरे से निकलकर फैसले लेने लगी हैं। उन्होंने कहा कि ये पंचायतें कई सदियों से हमारे देश के युवाओं का मार्गदर्शन करती आई हैं। इनके सदस्य समाज के सबसे उम्रदराज और अनुभवी लोग होते हैं। ऐसे में गलत फैसले लेने का सवाल ही नहीं उठता है। बल्कि ये तो अदालतों के काम को आसान बनाती हैं।

गौर कीजिए

जोर्डन और लेबनान में ऑनर किलिंग के 75 फीसद मामलों में महिला की जान लेने वाला उसका भाई होता है।

कंगारू अदालतें

शालिसी पंचायतें

21 साल के बबलू नासकार पर अपने पड़ोसी सुलेमान मंडल की पत्नी मरजीना बीवी के साथ बलात्कार का आरोप था। जनवरी, 2011 को हुई इस घटना के बाद बबलू को शालिसी अदालत के सामने लाया गया। चूंकि बबलू एक स्थानीय सीपीएम नेता शफीकुल का बेटा था इसलिए उसे केवल पांच हजार रुपये जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया और दो हफ्ते गांव से बाहर रहने को कहा गया। वहीं मरजीना बीवी के बारे में अदालत ने कहा कि उसने भोल-भाले बबलू को फंसाने और गुमराह करने का काम किया है लिहाजा उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

पिछले वर्ष जब पश्चिम बंगाल की एक 'अदालत' ने पर पुरुष से देह संबंध रखने के आरोप में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने का फरमान सुनाया तो उम्मीद के मुताबिक पूरे देश में विरोध और घृणा की लहर फैल गई। लेकिन यह कम लोग ही जान पाये कि ऐसी दर्जनों अदालतें पश्चिम बंगाल की पंचायतों में रोज लगाई जाती हैं इंसाफ के नाम पर जो बेकसूर युवा जोड़ों और महिलाओं के साथ नाइंसाफी की हदें पार कर जाती हैं। इन अदालतों को यहां 'शालिसी अदालत' के नाम से जाना जाता है। इन कंगारू अदालतों के तालिबानी फरमानों को सिर झुका कर मान लिया जाता है और शायद ही कभी कोई उन्हें देश की संवैधानिक अदालतों के सामने लाने की हिम्मत दिखाता है। बंगाली शब्द 'शालिसी' का मतलब है मध्यस्थता। लेकिन यहां जो होता है वह मध्यस्थता के मजाक के अलावा और कुछ नहीं होता। माना तो ये जाता है कि इन कंगारू अदालतों के जिम्मे गांव के छोटे-मोटे झगड़े ही लाये जाते हैं लेकिन वास्तव में ये न केवल तालिबानी फैसले सुनाते हैं बल्कि लोगों की निजी जिंदगी से लेकर देश की न्यायिक संस्थाओं तक में दखल देने से नहीं चूकते। बलात्कार जैसे मामलों में भी पीड़िता को न्याय की जगह अन्याय मिलता है जबकि आरोपी (प्रभावशाली और धनी) को महज कुछ रुपयों का जुर्माना। जिन लोगों ने इन अदालतों का फरमान मानने से इंकार किया, खासकर यदि वे गरीब हैं, तो उन्हें और भी कड़े और अपमानजनक दंड को भोगने के लिए तैयार रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए पूर्वी मिदनापुर जिले के बेतला गांव के मुनीरुल हक के मामले को देखा जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता निजामुद्दीन आलम की अध्यक्षता वाली शालिसी अदालत ने एक स्थानीय व्यापारी के आरोप पर मुनीरुल पर पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया। गरीब मुनीरुल इतनी बड़ी रकम दे पाने में असमर्थ था लिहाजा उसने अदालत से राहत की गुहार लगाई। आरोप लगाने वाला व्यापारी निजामुद्दीन का रिश्तेदार था। मुनीरुल की गुहार पर उसने दया दिखाई और जो नया फैसला सुनाया वह घृणास्पद और अत्यंत अन्यायपूर्ण था। निजामुद्दीन ने कहा कि मुनीरुल को अपनी सोलह साल की बेटी की शादी 46 साल के व्यापारी से करनी होगी जिसकी पहले से ही दो बीवियां थीं। अब मुनीरुल के पास कोई विकल्प नहीं था और उसे इस आदेश को मानना ही पड़ा।

इन अदालतों के फैसले आरोपी की समाज में स्थिति, आर्थिक स्तर, जजों के मूड और आरोपी से उनके व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। दोष और सजा का निर्धारण भी बेहद असंतुलित होता है। देह संबंध बनाने के आरोपी को मौत की सजा तक सुनाई जा सकती है जबकि चोरी करने वाले को महज कुछ रुपये का जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है। शालिसी अदालतों पर वृत्तचित्र के जरिये प्रकाश डालने वाले देबंजन मिश्रा बताते हैं कि यदि अवैध संबंध का आरोप किसी धनी या प्रभावशाली परिवार की महिला पर

गौर कीजिए

ज्यादातर मुस्लिम देशों में लड़की या महिला की जान लेने के लिए उसके किशोरवय भाइयों को कहा जाता है क्योंकि उनकी सजा कम होती है।

लगा हो तो उसे कुछ जुर्माना या हिदायत देकर भी छोड़ दिया जाता है लेकिन यदि यही आरोप किसी गरीब घर की महिला या लड़की पर हो तो उसके लिए निर्दयता की हदें पार कर दी जाती हैं। उसे पीटना, मल-मूत्र पिलाना या निर्वस्त्र कर घुमाने जैसी सजाएं तक दी जाती हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापक श्री मिश्रा बताते हैं कि सबकुछ राजनीति के आधार पर किया जाता है। गैर राजनीतिक और गैर प्रभुत्व वाले लोगों को तो इन अदालतों में कहीं का नहीं छोड़ा जाता है।

मौन रहने की लेते हैं शपथ

शालिसी अदालतों में जब किसी युवक या युवती को मौत की सजा सुनाई जाती है तो उसका पालन बेहद गोपनीय तरीके से कराया जाता है। पूरे गांव को इस बारे में मौन रहने की शपथ दिलाई जाती है। यही कारण है कि इन अदालतों के अत्याचारों की खबरें गांव से बाहर जल्दी नहीं निकल पाती हैं। इसका उदाहरण 27 अगस्त, 2010 को देखने को मिला जब मालदा जिले के रतुआ ब्लॉक के सारामारी गांव में 29 साल के रिक्शा ऑपरेटर शेख शरीउल की अदालत के आदेश के बाद हत्या कर दी गई। शरीउल का गांव के ही एक प्रभावशाली किसान की पत्नी के साथ प्रेम संबंध था। मामले का पता लगने पर शरीउल को शालिसी अदालत के सामने लाया गया जिसमें सारे पंच किसान के कोई न कोई रिश्तेदार थे। शरीउल को मौत की सजा सुनाई गई और उसे पीट-पीट कर मार डाला गया। उसके शव को किसान के सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और दस लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया लेकिन सबूत के अभाव में सभी को जल्दी ही जमानत मिल गई। पूरे गांव ने एक सुर में आरोपियों को बेकसूर बता दिया और कहा कि शरीउल गांव छोड़कर भाग रहा था कि तभी सेप्टिक टैंक में गिर गया और उसकी मौत हो गई। गांव वालों के बयान और प्रमाणों के अभाव में आखिरकार पुलिस को भी हार माननी पड़ी।

फायदा राजनीतिक दलों का

शालिसी पंचायतों के पीछे भी राजनीतिक दलों का हाथ होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दरअसल आदिवासी बेल्ट वाले क्षेत्रों में मुखिया या पंचायतें अपने गांववालों को किसी न किसी खास राजनीतिक दल के पक्ष में वोट करने का फरमान जारी कर देती हैं। चुनाव के बाद जो राजनीतिक दल जीतकर आता है वह अपना एकाधिपत्य स्थापति करने के लिए अपने विरोधी दलों के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और इसके लिए शालिसी जैसी कंगारू पंचायतों का सहारा लेता है। पश्चिम बंगाल में जब वामदलों की सरकार बनी तो दमन का दौर चल पड़ा और कभी जायज तो कभी नाजायज कारणों से अन्य दलों के लोगों को गांव से निकालने, प्रताड़ित करने या मार डालने की सजा सुनाई जाने लगी। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों लोगों को वाम दलों के प्रभुत्व वाली अदालतों का शिकार बनना पड़ा। हालांकि वर्तमान की तृणमूल कांग्रेस की सरकार भी इन अदालतों के बेजा इस्तेमाल से खुद को बचा नहीं पाई है और अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ इन्हें संरक्षण देती रही है।

2004 में तो वाम दलों की सरकार ने इन अदालतों को कानूनी जामा पहनाने की तैयारी भी कर ली थी और एक बिल लाने की कोशिश की थी। पश्चिम बंगाल ब्लॉक लेवल प्री लिटिगेशन कन्सीलिएशन बोर्ड बिल को मुख्यतः शालिसी बिल के नाम से ही जाना जाता था। इसके तहत हर

गौर कीजिए

दुनिया में हर साल करीब पांच हजार महिलाओं की हत्या सम्मान के नाम पर कर दी जाती है।

कंगारू अदालतें

ब्लॉक में एक कन्सीलिएशन बोर्ड का गठन किया जाना था जो गांवों और पंचायतों के छोटे-मोटे झगड़ों को सुलझाने का काम करता। लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने वाम सरकार के इस बिल को जोरदार विरोध किया। उनका आरोप था कि इस बोर्ड के जरिये वाम सरकार सिर्फ अपने लोगों की भर्ती करेगी जिससे अन्ततः शालिसी जैसी ग्रामीण अदालतों में वाम दलों का प्रभुत्व बढ़ेगा। विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह बिल विधानसभा में पेश नहीं हो पाया। हालांकि ये अदालतें आज भी जीवित हैं और वर्तमान सरकारें इनका पूरा इस्तेमाल अपने हित में कर रही हैं।

(26 जनवरी, 2014 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित जयदीप मजूमदार के आलेख पर आधारित)

तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के ओडासालपट्टी गांव से बहिष्कृत एम. पालानीअम्माल (मध्य में) और उनका परिवार। कसूर सिर्फ इतना था कि पालानीअम्माल ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपने पति पर मामला दर्ज करवाया था। गांव की कट्टा पंचायत ने इसके बदले में उसके पूरे परिवार को गांव से निकाल दिया।

मीनावर / कट्टा पंचायत

दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में कंगारू अदालतें अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। यहां भूमि विवादों में इन अदालतों का खासा दखल होता है और दलित एवं गैरदलितों के खिलाफ सजा के निर्धारण में भी ये सक्रिय होते हैं। आम तौर पर तमिलनाडु के गांवों में ऐसी अदालतों को मीनावर या कट्टा पंचायत कहा जाता है। डिंडीगुल जिले में दलित परिवार से आने वाले नागराज ने एक गैर दलित लड़की सुमति से विवाह कर लिया तो कट्टा पंचायत के आदेश पर उनकी शादी को खारिज कर दिया गया। पंचायत के डर से दोनों शादी करने के बाद गांव से फरार हो गये। एक महीने बाद जब उन्हें लगा कि अब गांव में सब कुछ शांत हो गया तो वे वापस आ गये। लेकिन वापस आना उनके लिए घातक साबित हुआ। कट्टा पंचायत दोनों को नारियल के खेत में ले गये और वहां एक बकरे की बलि चढ़ाई गई। फिर बकरे के खून को पति-पत्नी के माथे पर लगाकर उनकी शादी को शून्य मान लिया गया। कुछ दिनों बाद सुमति की शादी किसी अन्य पुरुष से कर दी गई। इसी तरह कांचीपुरम जिले के पानायुर पेरियाकुप्पम **हेमलेट** के ए. मनोहरन और उनकी पत्नी वनिथा को उनकी दो बेटियों के साथ गांव से

हैदराबाद में एचसीएल में काम करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर 25 साल की पी दीप्ति का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने नीची जाति के अपने सहकर्मी किरण कुमार से प्यार किया था। दीप्ति अपेक्षाकृत ऊंची जाति कम्मा से संबंध रखती थी तो किरण उससे कमतर कपू जाति से। दोनों के रिश्तों के बारे में दीप्ति के माता-पिता को भी पता था और वे लगातार उनसे अपना रिश्ता खत्म करने को कह रहे थे। आखिर में जब दीप्ति के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी तो उसने भागकर किरण से शादी कर ली। उसे नहीं पता था कि शादी के तोहफे के रूप में मां-बाप उसे मौत का नजराना देंगे। दीप्ति के मां-बाप ने उससे कहा कि वे इस शादी से नाराज नहीं हैं और अब बड़ी पार्टी करना चाहते हैं। दोनों पति-पत्नी और उनके दोस्त पिता के बुलावे पर गुंटूर पहुंचे जहां उन्हें एक बड़े होटल में ठहराया गया और दीप्ति को लेकर मां-बाप अपने घर चले गये। घर में कदम रखने के सिर्फ चंद मिनटों के बाद ही उन्होंने गला दबाकर अपनी बेटी की जान ले ली। कुछ देर इंतजार करने के बाद किरण और उनके दोस्त दीप्ति के घर पहुंचे जहां उन्हें घटना की जानकारी मिली। दीप्ति के पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि घर आने के बाद भी उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की लेकिन जब वह नहीं मानी तो उन्होंने उसे पलंग पर गिरा दिया। मां ने बेटी के पैर पकड़े और पिता ने दुपट्टे से बेटी का गला घोंट दिया।

कंगारू अदालतें

बहिष्कृत कर दिया गया क्योंकि मीनावर पंचायत ने जमीन के एक विवाद में उनके खिलाफ यह फैसला सुनाया था। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने मनोहरन के परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया था लेकिन वह भी उन्हें मीनावर पंचायत के खौफ से नहीं बचा सका। तमिलनाडु के गांवों में इन कंगारू अदालतों की मौजूदगी और उनके प्रभाव पर सर्वे करने वाले 'एविडेंस' संस्था के कथिर बताते हैं कि दक्षिण तमिलनाडु के सभी 167 गांवों में मीनावर या कट्टा पंचायत अपना प्रभुत्व रखते हैं। इस सर्वे में पाया गया कि जिन 167 गांवों में पड़ताल की गई उनमें 73 गांवों में सभी जातियों के लिए एक साझा अदालत थी जबकि 14 गांवों में दलितों और गैर दलितों के लिए अलग-अलग अदालतों का निर्माण किया गया था। 59 गांवों में तो हर जाति की अपनी अलग अदालत थी। इन पंचायतों का नेतृत्व करने वालों को नट्टामई या पंचायतथर कहा जाता है।

न्यायालय का हस्तक्षेप

19 दिसम्बर, 2008 को मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर स्थानीय प्रशासनों को इन कंगारू अदालतों को समाप्त कराने को कहा था। इससे पहले भी 8 अप्रैल 2004 और 5 जुलाई, 2005 में भी कोर्ट ने कट्टा पंचायतों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था लेकिन न तो प्रशासन उनका कुछ कर पाई और न अदालत। ये पंचायतें अलग-अलग नाम और रूप में मौजूद हैं। ए. मनोहरन के मामले में कोर्ट ने पुलिस को पूरे परिवार की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था। मीनावर पंचायत मछुआरों की पंचायत होती है। मनोहरन के मुताबिक हाइकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद पंचायत के कुछ लोगों ने हमारे घर पर हमला किया और विरोध जताया। उनके मुताबिक जब पुलिस ने गांव में प्रवेश किया तो हर तरफ शांति थी और पंचायतदारों ने पुलिस के सामने मेरे प्रति प्रेम का प्रदर्शन भी किया था लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही पुलिस यहां से जाएगी, मेरे साथ फिर से बुरा सलूक किया जाने लगेगा। हो सकता है कि मुझे अपनी पत्नी और बेटियों के साथ इस गांव को छोड़कर भी जाना पड़े। ये हाल तब है जबकि मनोहरन मीनावर पंचायत का सदस्य रह चुका है, फिर आम लोगों और गरीबों का क्या हश्र होता होगा, सोचा जा सकता है। बड़ी बात ये है कि पंचायत के सदस्य अपने फैसलों को गांव वालों के हित में लिया गया मानते हैं।

मीनावर पंचायत के एक सदस्य के मुताबिक मनोहरन को दी गई सजा कोई अनोखी बात नहीं है। इससे पहले भी हमने एक जमीन के एक विवाद में एक वृद्ध को मंदिर के चारों ओर घूमने का आदेश दिया था। मीनावर और कट्टा पंचायतों की इन्हीं मनमानियों पर ऊंगली उठाते हुए कांचीपुरम के पुलिस अधीक्षक को मछुआरों के गांवों में लगने वाली पंचायतों को समूल नष्ट करने को कहा था। बाद में इन पंचायतों पर आधारित पुलिस की रिपोर्ट के बारे में जस्टिस एन. पॉल वसंथकुमार ने कहा था "रिपोर्य से यह जाहिर होता है कि तमिलनाडु के गांवों में कट्टा पंचायतों की गुंडागर्दी बेरोकटोक जारी है।"

गांवों में लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्तर में सुधार के साथ-साथ बहुत कुछ परिवर्तन भी देखने को मिला है। यहां के परंपरागत उर (सामुदायिक) पंचायतों का महत्व पहले की अपेक्षा काफी कम हो गया है। इसके विपरीत कई उर पंचायतों ने कंगारू अदालतों की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। गांव के कुछ स्वयंभू पंचों ने खुद को इन पंचायतों का नेता घोषित कर दिया है और वे हर मामले में फैसला सुनाने और सजा देने का काम करने लगे हैं। कुछ साल पहले हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि राज्य के 12,618 गांवों में से तीस फीसद गांवों में कट्टा पंचायतों का प्रभुत्व मौजूद है। इतना ही नहीं ये पंचायतें अब खाप पंचायतों के चरित्र को अपनाने लगी हैं और फतवा जैसे फरमानों को जारी करने लगी हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण है समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के कारण उनमें आ रहे क्रांतिकारी विचारों को दबाना। इस बारे में अप्रैल 2004 में जस्टिस करपागाविनायगम ने कहा था "पिछड़ों और दलितों के सामाजिक स्तर में बदलाव, भोजन, जल और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच, धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी, मंदिरों में प्रवेश और रोजगार के अवसरों तक पहुंच जैसी बातों को लेकर भी इन पंचायतों का गठन किया जा रहा है और वंचितों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है।"

(27 अप्रैल, 2009 को साउथ एशिया सिटीजन वेब में प्रकाशित एस. दोरईराज के आलेख पर आधारित)

गौर कीजिए

ब्रिटेन में हर साल ऑनर किलिंग के बारह मामले सामने आते हैं।

अरब समाज में छिपी है जड़

सम्मान के नाम पर मौत को जायज ठहराने की शुरूआत रोमन काल से देखी जा सकती है। उस समय परिवार के वरिष्ठ पुरुष सदस्य को अनैतिक संबंध में लिप्त पाये जाने पर परिवार की किसी महिला को कत्ल करने का अधिकार प्राप्त था। महिला के विवाहित होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बेटी, बहू या पत्नी कोई भी हो सकता था। इसी तरह का कानून मध्यकालीन यूरोप में देखा गया था जहां का ज्यूइश कानून अनैतिक संबंध का आरोपी पाये जाने पर किसी महिला और उसके साथी की पत्थर से मार कर हत्या करने की इजाजत देता था। दुर्भाग्यवश यह कानून आज भी उत्तरी अफ्रीका और मध्य-पूर्व के कुछ देशों में प्रचलन में है।

बिरजिट विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर शरीफ कन्नान कहते हैं कि सम्मान के नाम पर हत्या के कानून की जड़ अरब समाज में छिपी है। पितृसत्तात्मक समाजों में परिवार का पुरुष बच्चे पैदा करने की ताकत अपने पास रखना चाहता है। ऐसे समाजों में महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन से बढ़कर और कुछ नहीं समझा जाता। तात्पर्य यह है कि ऑनर किलिंग के नाम पर महिलाओं की हत्या करने के पीछे उनका अनैतिक संबंध बनाना प्रमुख कारण नहीं है बल्कि उत्पादन करने की शक्ति अथवा प्रजनन के अधिकार पर एकाधिपत्य जमाये रखना अहम वजह है।

इतिहास पर नजर डालें तो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान कुछ अरब देशों में यह कार्य बेहद घृणित रूप में सामने लाया जाता था। महिलाओं की हत्या करने वाले परिवार के पुरुष अपने कपड़ों पर मरी हुई महिला का खून लगाकर और हथियार हाथ में लेकर सड़कों पर परेड करते थे। ऐसा करने से उस पुरुष का समाज में सम्मान और बढ़ जाता था और वह कृत्य निंदनीय की बजाय अनुकरणीय बन जाता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ऑनर किलिंग के लिए किसी महिला का अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध की पुष्टि होना जरूरी नहीं होता बल्कि महज शक हो जाने पर भी उक्त महिला की हत्या की जा सकती है। आरोपी महिला को न तो अपना बचाव करने का मौका दिया जाता है और न ही उसके परिवार के लोग किसी अन्य विकल्प पर विचार करते हैं। उनके सामने परिवार के माथे पर लगे कलंक को धोने का केवल एक ही तरीका होता है और वह है आरोपी महिला का कत्ल। इसे सामंती मानसिकता के आधार पर समझा जा सकता है। कत्ल करने वालों के मुताबिक उनके घर की महिला के कृत्य के बारे में समाज को पता चलने से पहले उसकी हत्या कर देना सबसे सही रास्ता है। भले ही महिला पर लगाया गया आरोप आधारहीन हो।

परिवार के सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या करने का चलन किसी एक देश की सीमा तक बंधा नहीं है बल्कि किसी न किसी रूप में यह दुनिया के कई देशों में जारी है। उदाहरण के लिए महिलाओं के साथ द्वंद्व युद्ध करना कई पश्चिमी देशों में आम बात थी। फ्रांस में ला सिड के मुताबिक एक पुरुष को जब एक महिला ने थप्पड़ जड़ा तो उसने अपने पुत्र को महिला से बदला लेने का हुक्म दिया और उसे द्वंद्वयुद्ध में हरा कर अपना सम्मान बचाया। ब्रिटेन में अवैध संबंध के आरोप में हेनरी अष्टम की पांचवीं पत्नी की सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। ब्रिटिश साहित्य में भी महिलाओं की हत्या करने के उदाहरण देखने में आते हैं। विलियम शेक्सपीयर की चरित्र डेस्डेमोना की हत्या अनैतिकता के आधार पर कर दी गई थी। ब्राजील और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी इस तरह के कानून की चर्चा मिलती है। पेरू में इंका कानून के तहत पतियों को ये अधिकार प्राप्त था कि वे अवैध संबंध के नाम पर अपनी पत्नियों की हत्या कर दें। मेक्सिको में भी एजटेक कानून महिलाओं की पत्थर से मारकर या गला दबाकर हत्या करने की इजाजत देता था। इतिहास में कई मशहूर युद्ध सम्मान के नाम पर लड़े गये जिसमें ट्रोजन वार सबसे महत्वपूर्ण है जो हेलेन के सम्मान के लिए लड़ा गया। अरब देशों में सम्मान को कई तरह से परिभाषित किया गया है। इसे प्रतिशोध, बदला लेने और कलंक धोने के रूप में भी देखा जाता है। अरब और दक्षिण एशियाई देशों में ज्यादातर अपराध बेटियों, बहनों या भतीजियों के विरुद्ध किये जाते हैं, न कि पत्नियों के विरुद्ध। एक साथ कई बेटियों या बहनों की हत्या का असर एक पत्नी की हत्या के असर से ज्यादा होता है। कई बार देखा गया है कि पत्नी के अपराध की सजा उसके मायके वालों की हत्या कर दी जाती है।

गौर कीजिए

प्राचीन रोम में यदि कोई पुरुष अपने परिवार की महिला को सजा नहीं देता था तो उसे प्रताड़ित किया जाता था।

जान ले रही हर बिरादरी

ऑनर किलिंग को लेकर हमारे देश की सरकार गंभीर है और इसके खात्मे के प्रयास धीरे-धीरे ही सही लेकिन किये जाने लगे हैं। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि परिवार और बिरादरी के सम्मान के नाम पर युवा शादीशुदा या संबंध बनाने वाले जोड़ों पर अत्याचार की घटनाएं पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। कट्टरपंथी और सामाजिक रूप से पिछड़े व अविकसित समुदायों में ऐसी कुप्रथाएं भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, जोर्डन और फिलीस्तीनी परिक्षेत्र में अभी भी जीवित हैं। हालांकि लगभग सभी जगहों पर ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कम दर्ज होने के कारण विश्वस्त आंकड़े सामने नहीं आ पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पोपुलेशन फंड के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल करीब पांच हजार महिलाओं की हत्या परिवार और समाज के सम्मान के नाम पर कर दी जाती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के ये आंकड़े भी संपूर्ण नहीं माने जा सकते क्योंकि ज्यादातर देश अपने यहां के इन मामलों को बाहर नहीं आने देते।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के मामले बहुतायत में सामने आते है। हाल ही में आई पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2009 में पाकिस्तान में 647 महिलाओं की हत्या सम्मान के नाम पर की गई। यह संख्या 2008 के 574 हत्याओं के मुकाबले 13 फीसद ज्यादा है। आयोग के महासचिव आई. ए. रहमान का कहना है कि परिवार के पुरुष सदस्यों के सम्मान पर लगी ठेस का बदला लेने के लिए महिलाओं की ऑनर किलिंग के तहत हत्या कर दी जाती है। महिलाओं की समाज में निम्न स्थिति के कारण ही उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये अपराध विवाहेतर संबंधों, विवाह पूर्व सेक्स संबंधों, धोखेबाजी और यहां तक की पुरुषों को समय पर भोजन न दे पाने की स्थिति में भी पुरुषों के अहं को लगने वाली चोट का बदला लेने के लिए अंजाम दिये जाते हैं। इन हत्याओं को समाज और परिवार के सम्मान के नाम पर जायज ठहरा दिया जाता है। एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला जब एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि उसने सपने में देखा था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। इसी तरह तुर्की में एक युवती को शहर के चौराहे पर केवल इसलिए गला काटकर मार डाला गया क्योंकि वहां के रेडियो पर युवती के नाम से एक गाने को समर्पित किया गया था। तुर्की के मानवाधिकार निदेशालय की जून, 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले इस्तानबुल में हर हफ्ते एक महिला का कत्ल ऑनर किलिंग के नाम पर होता है जबकि पिछले साल में यहां ऐसी करीब एक हजार हत्याएं हो चुकी हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में भी हर महीने तीन से चार महिलाओं की मौत सम्मान के नाम पर हत्याओं के दौरान हो जाती है। फिलीस्तीनी प्रशासन इस मामले में जार्डन के कानून का पालन करता है जिसके मुताबिक यौनाचार या अवैध संबंधों में लिप्त किसी महिला रिश्तेदार की हत्या के आरोपी पुरुष को अपेक्षाकृत हल्की सजा देने का प्रावधान है। इसी तरह सीरिया के पीनल कोड की धारा 548 कहती है कि यदि कोई पुरुष अपने परिवार की किसी स्त्री या लड़की को किसी अन्य पुरुष के सात अवैध संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ता है और तदनुसार अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करने के लिए उस महिला और पुरुष दोनों की हत्या कर देता है तो उस पुरुष को बेहद कम सजा दी जाएगी। हालांकि यह सजा दो साल के कारावास से कम नहीं होगी। यानी किसी महिला की जान के बदले दो साल का दंड।

गौर कीजिए

यूनाइटेड नेशन पोपुलेशन फंड के मुताबिक 2008 में दुनिया भर में ऑनर किलिंग के शिकार लोगों में से केवल सात फीसद ही पुरुष थे।

मोरक्को के कानून की धारा 418 भी अवैध संबंध में लिप्त अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी पति को विशेष परिस्थिति का लाभ देती है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब दो सौ महिलाओं की हत्या ऑनर किलिंग के तहत कर दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के मानविकी मामलों के विभाग की न्यूज ब्रांच आईआरआईएन के मुताबिक वर्ष 2006 में इराक के बसरा शहर में 133 महिलाओं की हत्याएं हुई तीं जिनमें से 47 ऑनर किलिंग थीं जबकि 79 इस्लाम की शिक्षाओं के उल्लंघन के आरोप में की गई थीं। रिपोर्ट बताती हैं कि ऑनर किलिंग केवल मध्य पूर्व या दक्षिण एशिया के देशों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और स्वीडन जैसे विकसित देशों में खुले या चोरी छिपे ऐसी हत्याओं को अंजाम दिया जाता रहा है।

माना जाता है कि कम से कम 12 ऑनर किलिंग की घटनाएं हर साल इंग्लैंड में सामने आती हैं। वैसे इंग्लैंड में बड़ी तादाद दक्षिण एशियाई और मध्य पूर्व के लोगों की भी है। वर्ष 2009 में लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सम्मान के नाम पर औरतों की हत्या किये जाने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और केवल उस वर्ष 211 महिलाओं की हत्या ऑनर किलिंग के तहत की गई थी। हाल ही में एक किशोरवय लड़की अक्शा परवेज की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई को कनाडा में मौत की सजा सुनाई गई। अक्शा की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वह अपने कनाडाई दोस्तों की तरह आधुनिक कपड़े पहनना चाहती थी और पार्टटाइम नौकरी करना चाहती थी।

एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि उसने सपने में देखा था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। इसी तरह तुर्की में शहर के चौराहे पर एक युवती का गला काट दिया गया क्योंकि वहां के रेडियो पर युवती के नाम से एक गाने को समर्पित किया गया था।

कनाडा में वर्ष 2002 के बाद से लेकर अब 13 ऑनर किलिंग के मामले सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी के आधुनिक और विकसित देशों में भी अपनी मर्जी से विवाह करने या संबंध बनाने वाले युवक और युवतियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें भी परिवार और बिरादरी के नाम पर कुर्बान होने ही पड़ता है। भारत में सम्मान के नाम पर दी जाने वाली मौतें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और कुछ हद तक बिहार में सामने आती है। खाप जैसी पंचायतें अपने तालिबानी फरमानों से लड़के-लड़कियों की जान लेने से नहीं चूकतीं। इस क्षेत्र में काम कर रही स्वयंसेवी संस्था शक्तिवाहिनी के मुताबिक कमोबेश देश के हर हिस्से से इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं और 90 फीसद मामलों में हत्यारे लड़की के मां-बाप या कोई नजदीकी रिश्तेदार होते है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पाया कि एक साल में जो 326 मामले आयोग में आये उनमें से 72 फीसद मामले अंतरजातीय या अन्य धर्मों में विवाह करने वाले जोड़ों के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर थे।

गौर कीजिए

अध्ययन के मुताबिक 2008 में ऑनर किलिंग के तहत मारी गई सर्वाधिक महिलाएं मुसलमान थीं।

ऑनर किलिंग : एक अपराध

डा. उषा किरण खान

(पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखिका एवं साहित्यकार)

रोजी-रोटी की तलाश में मानव संसाधन का स्थानीय और बाह्य उपयोग होता है। जबसे लड़कियां स्कूल जाने लगीं, शिक्षा के साथ-साथ नौकरी भी करने लगीं तब से आपसी मेलजोल बढ़ने लगा। किशोर-किशोरी या युवक-युवती एक-दूसरे का दुख-सुख बांटने लगे। यह भावनाओं का आदान-प्रदान प्रायः दोस्ती फिर प्यार में बदल जाता है। पूरा जीवन साथ बिताने के सपने देखे जाते हैं। विवाह कर वे अपने जीवन की शुरूआत करना चाहते हैं। परंतु पारंपरिक सोच वालों के गले के नीचे यह नहीं उतरता कि उनकी संतान स्वयं के लिए कोई निर्णय ले। प्रायः अभिभावक अपने आप को **विधाता** मान लेते हैं। विवाह यदि किसी जोड़े ने अपनी मर्जी से की तो उसे परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। कुसंस्कार जिसे बर्बर पंचायतें संस्कार का नाम देती हैं सिर चढ़कर बोलती है।

लोग अपने ही बच्चों की हत्या तक से परहेज नहीं करते। सबसे अधिक अचरज की बात यह है कि इस फरमान की सभी हिमायत करते हैं। इस जघन्य कृत्य को ऑनर अर्थात इज्जत से, प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं। इज्जत-जिसका सिरा किधर है, किसी को नहीं मालूम। किसने कहा कि मात्र जाति और गोत्र मिलाकर शादी करना हमारे शास्त्रों में लिखा है? शादी के आठ प्रकार हैं। इन आठों प्रकार का पूर्ण विवरण देखिये। क्या सभी के जाति-गोत्र देखकर पंडितों और वेद मंत्रोच्चारणों संग होने के विधान हैं? जिस भारत के नाम पर यह देश भारत कहलाता है उनके पिता सम्राट दुष्यंत और रानी शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था। शकुंतला भी कोई विवाहित माता-पिता की पुत्री नहीं थी। संस्कार का नाम लेकर ऑनर किलिंग करने वाले अभिभावकों की संस्कार जनित जानकारी देने के लिए शैक्षणिक कार्यशालाओं की जरूरत है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वे अधिक दिनों तक यह अपराध दोहरा सकेंगे। बस कुछ दिन और !

पंचायत के आदेश पर 13 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार

पश्चिम बंगाल के वीरभूम में 20 जनवरी, 2014 को पंचायत के आदेश पर 20 साल की एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने की घटना ने पूरी दुनिया के सामने देश को शर्मसार कर दिया। युवती को यह सजा दूसरी जाति के युवक से प्रेम करने पर दी गई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उक्त युवक को गांव के चौराहे पर बांध दिया गया था जबकि युवती के साथ एक झोपड़ी में 13 लोगों ने बलात्कार किया। जिले के पुलिस अधीक्षक सी. सुधाकर ने बताया कि सभी 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि इसका फरमान जारी करने वाले गांव के प्रमुख को भी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। ऑनर किलिंग का यह वीभत्स रूप जब सामने आया तो पूरा देश भौंचक रह गया। आज के सभ्य और शिक्षित समाज में भी ऐसे फरमान देने वाले गांव प्रधानों को लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, यह अचरज की बात है।

तालिबानी फरमान का शिकार बनने वाली युवती के परिजनों ने बताया कि गांव की अदालत का मानना था कि दूसरी जाति के युवक से प्रेम करके उसने बिरादरी के नियम को तोड़ा है इसलिए उसे कड़ी सजा झेलनी होगी। अदालत ने प्रेमी युगल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका और युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने का आदेश सुनाया। हमारे देश में गांव की कंगारू पंचायतों द्वारा ऐसे आदेश सुना देने की परंपरा रही है फिर चाहे उससे किसी की जान जाये या सम्मान। परिवार या समाज के सम्मान के नाम पर सुनाये जाने वाले ये फैसले पूरी तरह राजनीति से प्रेरित होते हैं। वीरभूम में हुई इस बर्बर घटना के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी भारी आलोचना की गई क्योंकि उन पर महिलाओं की सुरक्षा न कर पाने और दोषियों को ससमय सजा न देने का आरोप लगा। दरअसल ऐसी पंचायतों के जरिये सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा विपक्षी पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करना या उनका बहिष्कार कर देना आम बात है। खासकर पश्चिम बंगाल में यह ट्रेंड देखने में आता है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले भी बहुतायत में सामने आते हैं। विशेषकर कुप्रथाओं और कुरीतियों से जुड़े मामले जिनमें अंधविश्वास के फेर में पड़कर कई महिलाओं की जान चली जाती है।

(रायटर, 23 जनवरी, 2014)

गौर कीजिए

अकेले पुरुषों की हत्या के मामले कम हैं और 81 फीसद मामलों में महिला और पुरुष दोनों की हत्या की गई।

सम्मान के नाम पर अपराध

'सम्मान' के नाम पर मौत के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। गांव और शहर दोनों जगहों से परिवार के सम्मान के नाम पर युवक और युवतियों की हत्या किये जाने के मामले सामने आने लगे हैं। हमारे देश के लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग ऐसी घटनाओं से विचलित हैं। पिछले तीन दशक में महिला आंदोलनों के जरिये अपनी पसंद से विवाह करने वाले युवाओं को संरक्षण दिया जा रहा है।

ऑनर किलिंग का राजनीतिक अर्थशास्त्र

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का सामाजिक मूल्यांकन पहले से निर्धारित मान्यताओं के आधार पर होता है और इसकी क्रमिक समीक्षा परिवार, पड़ोसी, गोत्र, जाति, समुदाय और यहां तक की सहकर्मी भी करते रहते हैं। इनके फैसलों को मौन रहकर मान लेने वाली महिलाओं को तो सामाजिक मान्यता मिल जाती है लेकिन इनसे जरा भी असहमति दिखाने वालों को सामाजिक बहिष्कार और मौत तक की सजा का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं पितृसत्तात्मक समाज पुरुषों और महिलाओं लिए नैतिकता के निर्धारण में भी भेदभाव बरतता है। महिलाओं के लिए सम्मान का मतलब संयम, शुचिता और सत्य के प्रति निष्ठा तक से लगाया जाता है (कंचन, 2007)। औरतों की इस स्थिति के कारण जो अन्य दुष्परिणाम सामने आये हैं वे भयानक हैं। एनएफएचएस, 2006 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 47.4 फीसद शादियां बाल विवाह होती हैं। लड़कियों की शादी उम्र से पहले और उनकी इच्छा के विरुद्ध की जाती है। उन्हें न तो ऊंची पढ़ाई की आजादी होती है और न ही नौकरी करने की। महिलाएं समाज की परंपरा, संस्कृति और पहचान को बनाये रखने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं (नारायण, 2003)। दक्षिण एशिया के देशों में आज भी मध्ययुगीन विचारधारा मौजूद है। जाति, धर्म और कबीलाई पहचान को बनाये रखने के लिए अलोकतांत्रिक तरीकों को अपनाना और महिलाओं के खिलाफ अपराध, विशेषकर ऑनर किलिंग का अनुसरण करना आज भी प्रचलन में है। हालांकि इसी बीच पहचान की राजनीति ने महिलाओं के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित भी किया है (सेन, 2005)। उदाहरण के लिए वर्तमान में अधिसंख्य महिलाएं सामाजिक-सांस्कृतिक विचलन के मुहाने पर खड़ी हैं जहां उनके अधिकारों और आजादी की बात होती है। संविधान में महिलाओं को अपनी पसंद के पुरुष से विवाह का अधिकार, संपत्ति और उत्तराधिकार पाने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन वास्तव में वे इन अधिकारों को हासिल करने में अभी भी काफी पीछे हैं (माथुर, 2007)। इतना ही नहीं, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य बदलने के साथ ही लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षा और नौकरी प्राप्त करने के अवसर मिलने के बाद अपने अधिकारों के प्रति लड़कियों का सजग होना लाजिमी है। 1950 के दशक में देश में औरतें ज्यादा श्रम और कम प्रतिभा वाले कामों में ही योगदान देती थीं। बाद में औद्योगिकरण, यंत्रीकरण, आधुनिकीकरण और विवेकीकरण के माध्यम से जैसे-जैसे देश में क्षमता और तकनीक आधारित कामों का विस्तार हुआ, लोगों को शिक्षा और पूंजी दोनों का लाभ मिलने लगा। तब अपेक्षाकृत अधिक संपन्न लोगों ने अपनी लड़कियों को काम पर से हटा लिया और उन्हें शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों में दाखिला दिलाने लगे इस प्रकार अगले बीस साल में वे व्हाइट कॉलर वर्क फोर्स में शामिल हो गईं। 90 का दशक आते-आते लड़कियां और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सतर्क होने लगीं और उन्होंने विवाह जैसी मौलिक लेकिन पुरुषों के अधीन व्यवस्था पर प्रहार करना शुरू कर दिया। महिलाएं अपनी पसंद को प्राथमिकता देने लगीं और अपनी पसंद के कपड़े, बाल, मित्र और जीवनसाथी चुनने के लिए व्यग्र हो उठीं। हालांकि इस दौरान जब पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरम पर थी, शादियों का निर्धारण अपने बिजनेस को बढ़ाने और अत्यधिक पूंजी प्रवाह को ध्यान में रखकर किया जाने लगा। समाज के उच्च और संपन्न घरों के लोगों ने ऐसी शादियों को प्रोत्साहित कर लड़कियों की स्थिति को और विकट बना दिया। वे महज कठपुतली बनकर रह गईं जिनका इस्तेमाल संपत्ति, जमीन, बिजनेस और पावर विस्तार के लिए किया जाता था।

प्रो. विभूति पटेल

(पीएचडी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, एसएनडीटी वीमेंस यूनिवर्सिटी, मुंबई तथा डायरेक्टर, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इनक्लूजन पॉलिसी)

अंतरजातीय विवाह

अंतरजातीय विवाहों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है-एक, विशुद्ध पृथक जातियों यानी ब्राहण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र में विवाह। स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि में इन विवाहों का जिन्हें छूत और अछूतों के बीच विवाह भी

गौर कीजिए

एक नये अध्ययन के मुताबिक इंग्लैंड में पिछले वर्ष सम्मान के नाम पर तीन हजार लोगों की जान ले ली गई।

कहा जा सकता है, अस्तित्व नहीं के बराबर था (शाह, 2001)। आज भी देश के कई हिस्सों में दलितों और गैर दलितों के बीच की खाई बहुत गहरी है। चाय की दुकानों पर दलितों और गैर दलितों के लिए अलग गिलास होते हैं तो कई जगहों पर हजाम दलित ग्राहकों के बाल नहीं काटते। अक्सर यह खबर आती रहती है कि स्कूलों में किसी दलित के हाथ से बना मिड डे मील खिलाये जाने से बच्चों के अभिभावकों ने इंकार कर दिया (गुप्ता, 2004)। इन सबके बावजूद देश के किसी न किसी हिस्से से दलित और गैरदलितों के बीच प्रेम विवाह की खबरें आती रहती हैं। यह जाहिर करता है कि देश एक बड़े सामाजिक आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे विवाह ऊंची जाति की लड़कियों और नीची या दलित जाति के लड़कों के बीच होने के उदाहरण भी ज्यादा मिलते हैं। अभी भी कई जगहों पर ऊंची जाति के लड़कों को अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा दिलाई जाती है तो उनके घर की लड़कियों का दाखिला हिन्दी माध्यम के स्कूलों में कराया जाता है जहां अपेक्षाकृत अधिक संपन्न निम्न जाति के लड़के भी पढ़ने आते हैं। इस तरह ऊंची जाति की लड़कियों का संपर्क निम्न जाति के लड़कों से होता है। नीची जाति की लड़कियां प्रायः अभी भी स्कूलों और नौकरियों से दूर ही रहती हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में कई ऐसे विवाह देखे गये हैं जहां संपन्न और ऊंचे पदों पर आसीन दलित युवकों ने ऊंची जाति की कन्या से विवाह किया और बदले में लड़कियां अपने साथ भारी मात्रा में दहेज और कीमती सामान

लेकर आयीं। यह बेहद शर्मनाक है। संविधान निर्माता डा. बाबासाहेब अंबेडकर ने भी भारत में विवाह प्रथा पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि जाति व्यवस्था विवाह संबंधों को निर्धारित करती है। (रेज, 2010) असली समस्या देश के छोटे शहरों, गांवों और पंचायतों में शुरू होती है जहां अंतरजातीय और समगोत्रिय विवाह करने वाले युवाओं को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है।

न्यायपालिका का हस्तक्षेप

अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों के खिलाफ होने वाली हिंसा की वारदातों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जस्टिस अशोक भान और मार्कण्डेय काटजू ने देश के हर प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों की समाज के तथाकथित ठेकेदारों से सुरक्षा सुनिश्चित करें। 2006 में लता सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य से संबंधित अपने आदेश में जस्टिस काटजू ने कहा था " जाति व्यवस्था देश के लिए एक अभिशाप है। इसका अंत जितनी जल्दी हो जाय उतना अच्छा है। वास्तव में यह देश को उस समय विभाजित कर रहा है जबकि हमें ज्यादा एकजुट होकर रहने की जरूरत है। असल में अंतरजातीय विवाह तो देशहित में हैं क्योंकि ये विवाह जाति व्यवस्था को खत्म करने में सक्षम हैं। ऐसे विवाह करने वालों पर अत्याचार या उनका कत्ल किया जाना पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कोई लड़का या लड़की वयस्क हो जाय तो उसे अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है। अगर माता-पिता को अपने बच्चे के अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह से एतराज है तो अधिक से अधिक वे उनसे संबंध विच्छेद कर सकते हैं या उनका सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं लेकिन वे उनकी जान नहीं ले सकते हैं और न ही उन्हें जान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। खंडपीठ ने कहा कि ऐसी हत्याओं में किसी का सम्मान नहीं बचता है बल्कि यह एक बर्बर हत्या से ज्यादा कुछ नहीं होता। लखनऊ की लता सिंह जो की जाट समुदाय की थीं ने दिल्ली के बनिया समुदाय के ब्रह्मानंद गुप्ता से अंतरजातीय विवाह किया था। इसका नतीजा यह निकला कि लड़की के भाई ने लड़के की बहन और उसके अन्य रिश्तेदारों पर गलत आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। इसके खिलाफ लता सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह हैरत में डालने वाला मामला था। जिन लोगों ने शादी की वे बालिग थे और अपनी पसंद से शादी करने के लिए अधिकृत थे जबकि जिन लोगों को जेल में डाला गया वे बेकसूर थे। उन पर कोई गंभीर आरोप नहीं थे (हिन्दू, 2006)।

गौर कीजिए

2010 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक ऑनर किलिंग की शिकार लड़कियों की औसत उम्र 15-25 साल के बीच होती है।

भारत में प्रेम विवाह का पुराना रहा है इतिहास

भारत में ऐसी कई चर्चित हस्तियां रही हैं जिन्होंने अपनी जाति से बाहर जाकर शादियां कीं। सोलहवीं शताब्दी में राजा अकबर और रानी जोधा ने अंतर धार्मिक शादी की थी। आजादी के पहले डा. अंबेदकर, जो कि एक दलित थे, ने ब्राह्मण महिला डॉक्टर से शादी की थी जिन्हें इतिहास में माई अंबेदकर के नाम से प्रतिष्ठा मिली। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी जो स्वयं कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थीं, ने एक पारसी युवक फिरोज गांधी से विवाह किया था। इसी तरह कई ऐसे नामी-गिरामी लोग रहे हैं जिन्होंने शादी के समय जाति बंधन को नहीं माना और अपनी पसंद का जीवनसाथी चुना। लेकिन न तो इनका बहिष्कार किया गया और न ही इनके काम या सम्मान पर कोई आंच आई। ट्रेड यूनियन लीडर जार्ज फर्नांडिस ने मुस्लिम महिला लैला कबीर से शादी की लेकिन उसके बाद भी सालों तक मजदूरों के प्रिय नेता बने रहे। आजादी के बाद वामपंथी दलों ने ऐसे लोगों का साथ देना शुरू किया जिन्हें प्रेम विवाह करने के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था।

राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा

आजादी के बाद देश की कुछ चुनी हुई सरकारों ने अपने यहां अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना चलाई थी। इसके लिए राज्य बजट में भी विशेष इंतजाम किया गया था। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी शादियां करने वाले जोड़ों को पचास हजार का इनाम देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर राज्य कैबिनेट ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया है। पहले यह राशि पंद्रह हजार थी जिसे बढ़ाकर पचास हजार कर दिया गया है। अधिकारी के मुताबिक सरकार इन लोगों को बीस हजार रुपये नकद देगी जबकि 25 हजार रुपये पोस्टल बचत योजना में जमा कराई जाएगी। बाकी की राशि शादी पर होने वाले खर्च व अन्य मदों में खर्च के लिए दी जाएगी। राज्य सरकार यह योजना वर्ष 1958 से चला रही है जिसका आधा व्यय केंद्र सरकार वहन करती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन राशि देने और कुटीर उद्योग चलाने के लिए ब्याज रहित कर्ज देने की योजना चलाई है। राष्ट्रीय एकीकृत विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक ऐसे जोड़ों द्वारा आवेदन करने पर कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए पंद्रह हजार तक का ब्याजरहित लोन देने की व्यवस्था है (टाइम्स ऑफ इंडिया, 15/10/2009)। इस दिशा में महिला अधिकारों के लिए काम कर रहे संगठनों का कहना है कि जिन महिलाओं को ऐसे विवाहों में धोखा हुआ हो या जिनकी शादी विफल हो गई हो उनके लिए भी मदद का प्रावधान किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सम्मान के नाम पर होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए पूरे समुदाय को एक साथ आगे आना होगा। महिलाओं के खिलाफ किये जाने वाले ये ऐसे अपराध हैं जो समय और स्थान से परे हैं (सेन, पूर्णा, 2005)। अंतरजातीय और अंतर धर्मीय विवाहों पर प्रतिबंध लगाने के पीछे जाति और धर्म की शुद्धता के प्रति कट्टरपंथियों की वो सनक है जो उन्हें किसी भी हाल में अन्य धर्मों और जातियों के साथ मिलने-घुलने या संबंध बनाने से रोकती है। अखबारों में रोज नये शादीशुदा जोड़ों पर अत्याचार, अपहरण, जबरन गर्भपात और हत्या तक की खबरें भरी होती हैं लेकिन स्थानीय सरकारें सब कुछ जानते हुए भी ऐसे जोड़ों की सुरक्षा कर पाने में अक्षम रहती है। अपनी बिरादरी से बाहर विवाह करने वाले लोगों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। न तो उन्हें कहीं नौकरी मिलती है और न ही गांव या समाज में सम्मान। उनके बच्चे भी लंबे समय तक इस उपेक्षा का दंश झेलने के लिए मजबूर रहते हैं। ये ठीक है कि महिला संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन बिना आम लोगों के सहयोग के इसे पूरा कर पाना संभव नहीं है। मासूम लोगों को मौत तक की सजा सुना देने वाले लोगों के लिए कठोर न्यायिक सजा का प्रावधान किये जाने की जरूरत तो है ही साथ ही जमीनी स्तर पर मजबूत आंदोलन चलाए जाने की भी आवश्यकता है।

गौर कीजिए

युनिसेफ के मुताबिक बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं या लड़कियों की बहुधा हत्या कर दी जाती है।

औरत को यातना देने के कई हैं बहाने

परिवार के सम्मान को ढोने वाली महिलाओं को इसकी कीमत कई तरह से चुकानी पड़ती है। हत्या ऑनर किलिंग का सबसे वृहद रूप है लेकिन औरत को कई दूसरे तरह की यातनाओं को भी झेलना पड़ता है जो मौत से ज्यादा बदतर बन जाती है। भारत ही नहीं दुनिया के कई अन्य देशों में जहां परिवार की इज्जत के नाम पर महिलाओं को बलि का बकरा बनाया जाता है वहां उन पर कई प्रकार से सितम ढाये जाते हैं।

बलात्कार

परिवार के सम्मान को ठेस लगी तो महिला के सम्मान को छीन लो। यही सोच होती है ठेकेदार पंचायतों और समाजों की। पिछले साल जनवरी में पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पंचायत के आदेश के बाद एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का जो मामला सामने आया वह शर्मसार कर देने वाला था। 20 साल की उस महिला का अपराध इतना ही था कि उसने दूसरी जाति के युवक से प्यार किया था। न केवल बीरभूम बल्कि देश के कई हिस्सों से अक्सर प्यार करने की ऐसी सजा सुनने में आती रही है।

जबरन गर्भपात

यदि कोई लड़की या महिला शादी के पहले ही गर्भवती हो जाती है तो यह परिवार के लिए बहुत बड़े अपमान की बात मानी जाती है। घर की दीवारों से बाहर यह बात न जाय इसके लिए महिला का जबर्दस्ती गर्भपात करा दिया जाता है और उसके हाइमेन को ऑपरेशन के द्वारा फिर से ठीक करा दिया जाता है ताकि जब भविष्य में उसकी शादी हो तो किसी को भी उसके वर्जिन न होने का संदेह उत्पन्न न हो। ऐसे मामलों में लड़की की सहमति लेना तो कतई जरूरी नहीं समझा जाता है क्योंकि उसके पास मौत या गर्भपात में से किसी एक को चुनने का ही विकल्प मौजूद रहता है।

अपहरण और कैद

अपने पसंद के जीवनसाथी को चुनने की राह पर चलने वाली महिलाओं को रास्ते पर लाने के लिए कई समाजों में ऐसी प्रोफेशनल एजेंसी काम करती हैं तो जो उन्हें तलाश कर उनका अपहरण कर वापस ले आती हैं। घर से भाग कर विवाह रचाने वाली महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ जोर

परिवार द्वारा तय विवाह से इंकार करना

अगर किसी लड़की ने परंपरागत समाज में परिवार द्वारा तय किये गये लड़के से विवाह करने से इंकार किया तो उसका खामियाजा उसे जान देकर भुगतना पड़ सकता है। रूढ़ीवादी सोच रखने वाले मां-बाप शादी के लिए लड़का तय करने के समय लड़की की पसंद या नापसंद को जानना जरूरी नहीं समझते और इसलिए इसमें लड़की द्वारा किसी दखलअंदाजी या ऐतराज को बर्दाश्त नहीं कर पाते।

तलाक लेने की इच्छा जताना

मां-बाप की पसंद के लड़के से शादी के बाद उससे अलग होने या कानूनी रूप से तलाक लेने की इच्छा जताना भी लड़की के भारी पड़ सकता है। कई बार ऐसा सोचने पर भी उसे गंभीर यातनाओं का शिकार होना पड़ा है और कई बार तो इसके लिए उसे मौत की नींद तक सुलाया जा चुका है। हमारे देश के ज्यादातर समुदायों में शादियां परिवार की मर्जी से तय की जाती हैं जिसमें भारी पैमाने पर दहेज का लेन-देन किया जाता है। दहेज की मांग के चलते हजारों लड़कियों को हर साल जान भी गंवानी पड़ती है। ससुराल और पति की यातना और अपमान से परेशान होकर लड़कियां उनसे तलाक लेना चाहती हैं जो आखिर में उन्हीं के लिए आत्मघाती बन जाता है। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखने में आया है कि पति से अलग होकर मां-बाप के घर रहने चली आई

गौर कीजिए

2013 की जनवरी में 67 जाति आधारित समुदायों ने ऑनर किलिंग को अंजाम देने वालों के प्रति नरमी बरतने की याचिका दायर की थी।

ऑनर किलिंग के रूप

जबर्दस्ती करना भी ऑनर किलिंग का एक रूप माना जा सकता है। ऐसी महिलाओं को परिवार में नजरबंद या कैद करने की बात भी देखी जाती है। कई देशों में तो सरकारें भी घर से भागने वाली महिलाओं के लिए सजा मुकर्रर करती हैं। अफगानिस्तान में यदि कोई लड़की शादी के लिए घर से भागती है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है और उसे जेल में डाला जा सकता है। उसके बाद उसे वापस परिवार के पास भेज दिया जाता है जहां उसपर कई तरह के अत्याचार किये जा सकते हैं। उन्हें मारा-पीटा जाता है, जबर्दस्ती शादी करा दी जाती है और कई बार जान से मार दिया जाता है।

जबरन विवाह

अक्सर अपनी मर्जी से साथी चुनने वाली लड़कियों की जबर्दस्ती दूसरे व्यक्ति से विवाह करा दी जाती है। ये एक तरह से लड़की पर निगरानी बढ़ाने का तरीका है जिसके बाद उसके लिए अपनी आजादी और पसंद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस तरह का शादियां ज्यादातर अपमानजनक होती हैं और लड़की के लिए जीवन भर की यातना का सबब बन जाती हैं। जिन समाजों में ऑनर किलिंग के मामले ज्यादा सामने आते हैं वहां जबरन विवाह के मामले भी ज्यादा देखे जाते हैं।

ऑनर सुसाइड

कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रेम करने वाले लड़के या लड़कियों द्वारा आत्महत्या करने की खबर बाहर आती है। दरअसल उनके परिवारों द्वारा उन लड़के-लड़कियों को अपनी जान देने के लिए प्रेरित किया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है। परिवार का सम्मान बचाने के लिए लड़कियों के आत्महत्या कर लेने के मामलों को भी ऑनर किलिंग में ही रखा जाना चाहिए।

महिलाओं पर गलत आरोप लगाकर उनकी जान तक ले ली गई है। महिला का पति से अलग होने की इच्छा जताना पति का अपमान माना जाता है और ससुराल वालों द्वारा लांछन लगाकर उसकी हत्या करा दिये जाने के मामले भी आम हैं।

बलात्कार की शिकार होना

कनाडा में रहने वाली एक 14 साल की लड़की को सौ कोड़ों की सजा दी गई और सत्तरवें कोड़े में उसकी मौत हो गई। उस बच्ची को जिस अपराध की सजा दी गई थी वह था उसका रेप का शिकार बनना। यानी जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसके साथ सहानुभूति जताने के बजाय उसे कोड़ों से मारकर उसकी जान ले ली गई। ऐसा कई देशों के कई समुदायों में होता आया है। यदि किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो इससे उसके परिवार और समाज का अपमान होता है और इसके लिए उसे ही दोषी मानते हुए उसकी जान ले ली जाती है। खासकर यदि बलात्कार के बाद लड़की गर्भवती हो गई तो उसकी मौत तय कर दी जाती है।

समलैंगिक होना

समलैंगिकता को विश्व के ज्यादातर समुदायों में अपराध माना गया है। इसके लिए सजा पाने वालों में जितनी महिलाएं होती है उतनी ही संख्या पुरुषों की भी होती है। 2008 में तुर्की के एक कैफे के बाहर मार डाले गये अहमट यिलदि्ज का भी यही कसूर था कि वह समलैंगिक था। तुर्की में समलैंगिकता के अपराध में मौत की सजा दिये जाने का यह पहला मामला था। उसे उसके ही पिता ने गोली मार दी थी।

तेजाब हमले से पहले और हमले के बाद हसीना हुसैन।

बेंगलुरू की हसीना हुसैन पर 1999 में उसकी कंपनी के मालिक जोसेफ रॉड्रिज ने तेजाब से हमला कर दिया था क्योंकि हसीना ने उसकी शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उसके बाद नौकरी भी छोड़ दी थी। आज वो अपने चार सदस्यों वाले परिवार में कमाने वाली इकलौती सदस्य है। उसकी 35 बार सर्जरी हुई और आंखों की रोशनी पूरी तरह खत्म हो गई। इलाज के लिए 15 लाख रुपये जुटाने के लिए उसके पिता को अपना घर, जमीन सब कुछ बेचना पड़ गया। न कोई सरकारी मदद मिली न मुआवजा। अंत में अपनी मेहनत से हसीना ने नया मुकाम हासिल किया।

गौर कीजिए

ऑनर किलिंग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1978 में किया गया था।

ऑनर किलिंग

निस्संदेह ऑनर किलिंग प्रताड़ना का सबसे वीभत्स रूप है। अपनी पसंद से विवाह करने या जीवनसाथी चुनने तथा कई बार तो अपनी मर्जी से जीवन जीने की आजादी चाहने वाली लड़कियों को भी इसकी सजा मौत के रूप में दी जाती है। यह सजा खुद उसके परिवार वाले या समाज के ठेकेदार उसके लिये तय करते हैं। न तो किसी पुलिस को इसकी भनक मिलती है और न ही कोई अदालत इसके लिए सजा का ऐलान कर पाती है। सम्मान के नाम पर औरत की जान लेने वाले कोई दया नहीं दिखाते। उसे जिंदा जलाकर, पत्थर मारकर, गला दबाकर, कोड़ों से मारकर या गला काटकर मौत की नींद सुला दिया जाता है।

तेजाब हमला

भारत में पिछले दिनों लड़कियों पर तेजाब से हमला करने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। कई बार इसे लड़कियों से एकतरफा प्यार करने वाले लोग अंजाम देते हैं तो कई बार लड़कियों के परिवार या समाज वाले ऐसा करवाते हैं। इसके पीछे कभी अपने परिवार तो कभी समाज की मर्जी के खिलाफ जीवनसाथी चुनने की आजादी तो कभी मां-बाप द्वारा तय किये लड़के से अनबन कारण बन सकता है। पर हर बार गलती औरत की ही बताई जाती है और हर बार उसके चेहरे पर ही तेजाब डाल दिया जाता है।

डायन हत्या

भारत सहित कई देशों में आज भी महिलाओं को डायन घोषित कर उन्हें यातना देने या जान से मार देने तक की परंपरा को जीवित रखा गया है। प्रथा के नाम पर महिलाओं से बदला लेने का यह पुराना तरीका रहा है और इसका इस्तेमाल कई बार ऑनर किलिंग के रूप में भी किया जाता है। हैरत की बात ये है कि डायन के नाम पर प्रताड़ित करने को पुलिस कोई गंभीर अपराध भी नहीं मानती है और दोषियों के लिए किसी कड़ी सजा का प्रावधान भी नहीं है। ज्यादातर डायन प्रथा की शिकार गरीब और पिछड़ी जाति की महिलाएं होती हैं जिन्हें किसी न किसी बहाने से मार दिया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है। इसके पीछे भी बहुधा महिला द्वारा पसंद से किया गया विवाह कारण होता है लेकिन उसे सामने नहीं आने दिया जाता है। महिला पर गांव या समाज के किसी व्यक्ति को बीमार करने या मार देने का आरोप लगाकर डायन सिद्ध कर दिया जाता है।

(एचवीव्ही-अवेयरनेस.कॉम और विकीपीडिया)

भावना को मिला मौत का तोहफा

नई दिल्ली के द्वारका में रहकर कॉलेज में साथ पढ़ने वाले अभिषेक सेठ से शादी करने वाली भावना यादव को नवम्बर, 2014 को उसके ही माता-पिता ने गला दबाकर मार डाला। भावना ने अपने मां-बाप की मर्जी के खिलाफ अपनी जाति से बाहर के युवक से शादी की थी जो उसे भारी पड़ गई। शादी के चार दिन बाद दोनों के परिवारों में सुलह हो गई और भावना के माता-पिता उसे यह कहकर साथ ले गये कि दोनों की शादी का भव्य समारोह आयोजित करेंगे। लेकिन जिस दिन वह अभिषेक के घर से गई उसी रात को उसकी मौत हो गई। दरअसल घर ले जाने के बाद भावना के माता-पिता ने कहा कि 22 नवम्बर को उसे किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी। भावना ने इसका विरोध किया तो मां-बाप भड़क गये। पिता जगमोहन यादव ने भावना के पैर पकड़े और मां सावित्री ने उसका गला दबा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को फोन कर बुलाया और कहा कि भावना को सांप ने काट लिया है उसे गांव ले जाना होगा। गांव जाने के बाद लोगों के कुछ समझने से पहले ही गोबर का ढेर लगाकर भावना को जला दिया गया। जगमोहन और सावित्री को अफरातफरी में देख गांववालों को शक तो हुआ लेकिन किसी ने कुछ जानने की कोशिश नहीं की। बाद में जब अभिषेक की शिकायत पर पुलिस वहां पहुंची तो गांव वालों को पता लगा कि भावना की ऑनर किलिंग के तहत हत्या कर दी गई है। अपने प्यार और पत्नी की मौत से अभिषेक बदहवास हो गया। दिल्ली और अरवल से उसे धमकी भरे फोन आने लगे जिसमें उससे मामला उठाने को कहा जाने लगा। लेकिन अभिषेक और उसकी मां दोनों पीछे हटने वाले नहीं हैं और चाहते हैं कि भावना के माता-पिता को कड़ी से कड़ी सजा मिले।

(इंडियन एक्सप्रेस, 21 नवम्बर, 2014)

गौर कीजिए

एक अध्ययन के मुताबिक ऑनर किलिंग के 56.60 फीसद मामले विवाह संबंधों के कारण सामने आते हैं।

कहां है कानून का राज!

सारिका पांडे जब 21 साल हुई तो उसने अपनी वयस्कता और आजादी को जीने की कोशिश की लेकिन यह जानकर हैरान रह गई कि असल में उसकी तो अपनी आवाज तक नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा और मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद भी न तो उसका शरीर और न ही उसकी आत्मा आजाद है। वयस्क और शिक्षित सारिका अपनी पसंद के लड़के सलीम असलम से शादी करना चाहती थी मगर उसके अति आधुनिक उच्च जाति के परिवार को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। परिवार ने उसे 'हमारा' और 'उनका' के आधार पर डराने और समझाने की कोशिश की लेकिन सारिका पर असर नहीं हुआ और एक दिन वह अपने घर से भाग गई। इसके बाद शुरू हुआ उत्पीड़न का सिलसिला। पहले तो धमकी दी लेकिन जब वो काम नहीं आया तो हिन्दू कट्टरपंथियों ने मुस्लिम लड़कों पर हिन्दू लड़कियों को भगा ले जाने का आरोप लगाया। असलम के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया और उसके घर की कुर्की का वारंट जारी करवाया गया जिसके कारण असलम और उसके पूरे परिवार को छह महीने के लिए फरार हो जाना पड़ा। शादी के सालों बाद भी सारिका डर से निजात नहीं पा सकी है। वो बताती है कि उसके अपने भाई और पिता को देखकर ही उसे अदालत में सबसे ज्यादा डर लगा था। उसका भय अपने पति असलम को लेकर था। उसने सोच लिया था कि वह सच का साथ देगी। उसने कोई गलत काम नहीं किया था फिर भी उसके ससुराल वालों को अपना काम छोड़ना पड़ा। उनके घर छूट गये। वे तबाह हो गये। उसने कहा कि हम दोनों अपने-अपने धर्मों और संविधानिक अधिकारों के तहत काम कर रहे थे लेकिन हमें जल्दी ही पता लग गया कि सामाजिक दबाव और संरचना इन सबसे ऊपर है।

सारिका भाग्यशाली थी कि वह उस देश में भी अपेक्षाकृत ज्यादा आसानी से जी रही थी जहां महिलाओं को जबरन उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर किया जाता है और जहां अपनी धर्म और जाति से बाहर शादी करने पर भयानक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और यहां तक की परंपरा के नाम पर उनकी जान तक ले ली जाती है। इस देश में एकतरफा प्यार करने वाला प्रेमी बड़ी आसानी से अपनी प्रेमिका के चेहरे को तेजाब से झुलसा देता है तो अपने परिवार के सम्मान को बचाने के नाम पर भाई बहन का गला काट देता है। पंचायत समाज में न्याय और कानून लाने की बात कहकर सामाजिक नियमों को तोड़ने के आरोप में लड़की को नंगा घुमवा सकती है या उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने तक का आदेश दे सकती है। यहां तक कि खुलेआम लड़की की हत्या करने तक का फरमान सुना सकती है। अपनी मर्जी से अपना जीवनसाथी चुनने वाले युवाओं को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि कई बार वे अपनी जीवलीला खुद ही समाप्त कर देते हैं। सूची लंबी है और उदाहरण हर रोज सामने आते हैं। जहां-जहां राज्य सरकारों ने कड़ाई दिखाई है वहां जरूर बदलाव दिखे हैं लेकिन यौनिक स्वच्छंदता अभी भी वर्जित श्रेणी में ही है। एक परिवार का सम्मान उस घर की लड़कियों की वर्जिनिटी में होता है।

पूजा अवस्थी

(पेशे से पत्रकार हैं और कई अखबारों व पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखती हैं। वर्ष 2006 में इन्हें शेवनिंग फेलोशिप से नवाजा गया जबकि वर्ष 2012 में लाडली मीडिया अवार्ड के लिए इन्हें नामांकित किया गया।)

आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को सम्मान के नाम पर दी जाने वाली मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इसे कहीं सम्मान तो कहीं परंपरा के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

वर्ष 2006 में कानपुर में 45 साल की एक महिला का उसके भाइयों ने मुंह काला कर बाल मुंडवा दिये सिर्फ इस शक के आधार पर कि उसका अपने पति के अलावा भी किसी और पुरुष से संबंध हैं। लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर हदोई जिले में एक प्रेमी ने अपनी पूर्व प्रेमिका को जान से मारने के लिए उसकी शादी के दिन खुद को मानव बम बना लिया और उस बम के विस्फोट से कई लोग घायल हो गये। इसी साल मेरठ में एक लड़की ने कीटनाशक पीकर अपनी जान देने की कोशिश की क्योंकि वह अपने परिवार को मिलने वाले तानों से परेशान थी। उस लड़की का किसी अन्य लड़की से समलैंगिक संबंध होने का अनुमान लगाया जा रहा था और इसको लेकर उसे और उसके परिवार को निशाना बनाया जा रहा था। मेरठ में ही एक भाई ने अपनी बहन को उस समय मार डाला जब वह अस्पताल में भर्ती थी। उस पर उसी भाई ने पहले भी जानलेवा हमला किया था। बेटी की मौत के बाद पिता ने अपने बेटे को फरार होने में मदद की क्योंकि उनका कहना था कि वे बेटा और बेटी दोनों को एक साथ नहीं खो सकते। इसी तरह लखनऊ में ही पंद्रह साल की एक नाबालिग लड़की को अपने से दोगुने उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ा क्योंकि इसके बदले उस व्यक्ति ने लड़की के पिता का तीस हजार का कर्ज माफ कर दिया था। लड़कियों की मर्जी का कत्ल अक्सर परंपरा के नाम पर कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में प्रचलित नाथ प्रथा का इस्तेमाल आजकल लड़कियों को खरीदने के लिए किया जा रहा है। इस प्रथा के तहत किसी महिला को दोबारा शादी करने

गौर कीजिए

हरियाणा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2008-2010 के बीच ऑनर किलिंग के 34 मामले दर्ज कराये गये।

का अधिकार दिया जाता है, बशर्ते वह अपने होने वाले पति को एक खास रकम का भुगतान करे। राजस्थान के कुछ समुदायों में तो लड़कियों को शादी करने का अधिकार तक नहीं दिया जाता। युवा होते ही उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधे पर लाद दी जाती है। इन समुदायों के पुरुष ज्यादातर बेकार होते हैं और सारा पैसा जुए और शराब में खर्च कर देते हैं।

2005 में पीडब्ल्यूडीव्हीए यानी घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून के पारित होने के बाद लगा जैसे महिलाओं के लिए स्थितियां अब शायद बदल जाएंगी। लेकिन दस साल के बाद भी यह कानून अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो पाया है। पति से पिटाई की क्षतिपूर्ति के रूप में महज चार सौ रुपये महीने पाने की आस में बैठी लखनऊ की सुधा कश्यप हो या घरेलू हिंसा के हर्जाने के तौर पर 1500 रुपये पाने के लिए सात साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाली चित्रकूट की गायत्री मौर्य, न्याय और पैसे के लिए इनके इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रहीं। घरेलू हिंसा अधिनियम के दावे इनके आगे हवा हो जाते हैं। यूं तो यह इस अधिनियम के दायरे में हर आयु और वर्ग की महिलाओं को रखा गया है। फिर चाहे वह स्कूल जाने वाली 14 वाल की बच्ची हो या कोई युवा महिला या फिर बुजुर्ग विधवा, सभी को अपनी सुरक्षा और अधिकार के लिए आवाज उठाने का हक इस कानून के तहत दिया गया है। इसमें समाज में अवैध ठहराई गई शादियों और सामज द्वारा तय विवाहों को भी समान रूप से महत्व दिया गया है। कानून के तहत यह भी स्वीकार किया गया है कि महिलाएं अपने ऊपर अत्याचारों को लेकर आसानी से पुलिस तक नहीं पहुंच पातीं क्योंकि उन्हें अपने और परिवार के सम्मान का भय रहता है। साथ ही जानकारी और मदद के अभाव में वे अक्सर कानून की गलत धाराओं के फेर में भी पड़ जाती हैं। जैसे कि ज्यादातर विवाहित महिलाओं को बरगलाकर उनसे धारा 498 ए के तहत मुकदमा दायर करवा दिया जाता है। यह धारा दहेज प्रथा के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के हित में कई अन्य धाराओं का भी प्रावधान है। इस अधिनियम का सही इस्तेमाल किया जाय तो किसी भी पीड़िता को अपने पति का घर छोड़ने की जरूरत नहीं होगी और वह वहां रहते हुए भी अपने लिए सुरक्षा और हर्जाने की मांग कर सकती है। लेकिन महिला मुद्दों को सही ढंग से प्रस्तुत न किये जाने और राज्य सरकारों द्वारा उन्हें गंभीरता से न लिये जाने के कारण कानून की धाराओं का पूरा इस्तेमाल संभव नहीं हो पाता है। इस अधिनियम के समुचित लाभ के लिए इसे पूरी तरह स्वतंत्रता से काम करने देना होगा। ऐसा मानना है लखनऊ की स्मृति सिंह का। स्मृति महिला मुद्दों की जानकार हैं और कहती हैं कि इस कानून को बिल्कुल अलग रूप में देखने की जरूरत है। आखिरकार इसे महिला कल्याण विभाग के अधीन काम करने की जरूरत ही क्या है। स्मृति बताती हैं कि कानून के तहत एक सुरक्षा अधिकारी यानी प्रोटेक्शन ऑफीसर (पीओ) की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। ये पीओ घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की पूरी सुरक्षा और मदद पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। शिकायत दर्ज कराने से लेकर पीड़िता को अदालत तक पहुंचाने, उनकी मेडिकल जांच कराने और अदालत के आदेश का पालन कराने तक की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। लेकिन विभाग के अधीन होने के कारण न पर्याप्त संख्या में पीओ की नियुक्ति हो पाती है और न पीड़िताओं को मदद और न्याय मिल पाता है। मार्च, 2013 में लोकसभा में इस संबंध में बताया गया कि पूरे देश में 6279 पीओ की नियुक्ति की गई है लेकिन उनमें से केवल 125 ही पूरी तरह स्वतंत्र प्रभार में कार्य कर रहे हैं। अन्य सभी के पास कई अन्य कामों का भी दायित्व है। इसी से समझा जा सकता है कि सरकारें महिलाओं की मदद करने को कितनी उत्सुक हैं। इतना ही नहीं लखनऊ के एडवोकेसी एंड लीगल इनीशियेटिव (आली) द्वारा जनवरी 2011 से दिसम्बर 2012 के बीच कराये गये सर्वे में यह बात सामने आई कि राज्य में जितने भी प्रोटेक्शन ऑफीसर नियुक्त किये गये सभी की प्रारंभिक ड्यूटी किसी अन्य विभाग में तय थी। ज्यादातर पीओ को अपने काम के बारे में या तो पता नहीं था या बहुत कम जानकारी थी। जाहिर है जिनके कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप सरकार सो जाती है वे खुद लाचार और असहाय हैं। लखनऊ का ये उदाहरण तो सिर्फ एक झलक है, दरअसल पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा में लगी एजेंसियों का यही हाल है।

(इंडियाटुगेदर.कॉम और प्रेस इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया में प्रकाशित आलेखों पर आधारित)

गौर कीजिए

2010 में हरियाणा की एक अदालत ने ऑनर किलिंग के मामले में पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई थी।

जरूरत नये कानून की

देश में हर अपराध के लिए कोई न कोई कानून, कोई न कोई दंड निर्धारित है। बालिग. नाबालिग, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवा, विकलांग और बीमार हर व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित होने पर दोषी को सजा का प्रावधान है। फिर क्या वजह है कि अपराधों पर अंकुश लगने की बजाय उनका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। कारण भी कहीं न कहीं इन कानूनों के पालन और इनके इस्तेमाल के तरीके में ही छिपी है।

हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पसंद से विवाह करने वाले युवा जोड़ों की हत्या के आंकड़ों में बढ़ोतरी और मीडिया में इन खबरों के जरूरत से अधिक प्रसार के कारण युवाओं में भय का माहौल बन रहा है। कई मामलों में तो दबाव इतना अधिक होता है कि इस तरह की शादी करने वाले युवक-युवतियां आत्महत्या कर लेते हैं। प्रताड़ना, हत्या और आत्महत्या का हर मामला मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। *3 जुलाई 2010 को लॉरिसोर्स इंडिया में प्रकाशित अपने आलेख में रविकांत ने महिलाओं से जुड़े भारतीय कानूनों पर गहराई से प्रकाश हाला है। वे सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और ऑनर किलिंग पर विशेष कार्य कर रही शक्तिवाहिनी के अध्यक्ष भी हैं।*

औरत के लिए सम्मान और समाज

महिला हिंसा पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक "सामान्यतः सम्मान का तात्पर्य औरत की देह से होता है। सम्मान और इसके स्वाभाविक परिणाम शर्म, महिलाओं के यौन संबंधों और पुरुषों के साथ उनके रिश्तों को निर्धारित, संचालित और नियंत्रित करते हैं। जो महिलाएं प्रेम करती हैं, विवाहेतर संबंध बनाती हैं, तलाक की इच्छा रखती हैं या अपने जीवनसाथी को चुनने में आजादी चाहती हैं, वे समाज द्वारा निर्धारित यौन व्यवहारों का घोर उल्लंघन करती हैं और इसकी कीमत उन्हें ऑनर किलिंग के जरिये अपनी जान तक देकर चुकानी पड़ती है।" (राधिका कुमारास्वामी)

अपने कंधों पर महिलाएं पुरुषों का सम्मान ढोती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का 'सम्मान' नगण्य है और उनमें अवलम्बन, विनम्रता और सहनशीलता का होना अनिवार्य है। वहीं पुरुषों का 'सम्मान' मुखर है। वह सक्रिय, प्रखर, स्वेच्छाचारी और प्रभुत्व वाला होता है। (बोरडियो 2001)

अगर एक बार किसी भी तरह से महिला का सम्मान खो जाता है तो उससे पूरे परिवार के सम्मान पर आघात होता है और उसे पुनः वापस लाने का कोई रास्ता नहीं होता सिवाय उस महिला के कत्ल के। कई बार महिला के कत्ल का फैसला सामूहिक रूप से लिया जाता है जिसमें उसके परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं जो यह निश्चित करते हैं कि क्या महिला का कृत्य उसे मौत की सजा देने योग्य है और उसे मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए। जुलाई, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग को बर्बर और अमानवीय करार देते हुए ऐसा करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश जारी किया था। लता सिंह बनाम अन्य के मामले में जस्टिस मार्कण्डेय काटजू के नेतृत्व वाली पीठ ने पुरजोर शब्दों में खाप जैसी पंचायतों की निंदा की थी और उनके खात्मे की अपील की थी। न्यायालय के आदेश को पूरे देश में जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली थी।

यूएनएफपीए रिपोर्ट 2013

अधिवक्ता कीर्ति सिंह

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि पिछले चार साल में देश भर में 560 युवा जोड़ों को अपनी मर्जी से शादी करने के कारण धमकियां दी गईं और उन्होंने कोर्ट और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। इनमें से 121 युवाओं की हत्या कर दी गई। इन लोगों की सुरक्षा न कर पाने के आरोप में आज तक एक भी व्यक्ति को कोई सजा नहीं दी गई। देश में अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने वालों को समाज और जाति के ठेकेदारों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है और ऑनर किलिंग इन ठेकेदारों के तालिबानी फरमानों का सबसे वीभत्स रूप है। अगस्त, 2013 में अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने यूएनएफपीए के लिए किये गये अपने अध्ययन में प्रेम करने वालों की नृशंस हत्याओं पर रोक लगाने के लिए अलग कानून बनाने की मांग की है। 'लॉज एंड सन प्रीफरेंस इन इंडिया-ए रियलिटी चेक' नाम की अपनी 163 पेज की रिपोर्ट में कीर्ति ने कई सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

गौर कीजिए

ऐडवा के मुताबिक 1985 से लेकर अब तक हर महीने भारत में ऑनर किलिंग के पांच-छह मामले सामने आते रहे हैं।

तरह 23 जून, 2008 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस के. एस. अहलुवालिया ने युवा जोड़ों पर होने वाले अत्याचारों पर कड़ी टिप्पणी की थी। अपनी पसंद से विवाह करने वाले युवाओं से जुड़े करीब दस मामलों की लगातार सुनवाई के बाद आहत जस्टिस अहलुवालिया ने कहा था कि अदालतों में ऐसे मामलों की बाढ़ सी आई हुई है। न्यायाधीश युवाओं की आजादी और उनकी पसंद को लेकर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं जबकि राज्य सरकारें मौन दर्शक बनी हुई हैं। आखिर सरकारें कब नींद से जागेंगी और कब तक अदालतों को ऐसे मामलों में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभानी पड़ेगी।

22 जून, 2010 में शक्तिवाहिनी द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नौ राज्य सरकारों को नाटिस भेजकर पूछा था कि आखिर ऑनर किलिंग के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2012

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर देश में जो कानून बने हैं क्या वे वास्तव में उनके साथ इंसाफ कर पाते हैं। इसी मुद्दे पर अलबीना शकील ने जो लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है वह गौर करने लायक है। *अलबीना मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और भारती कॉलेज, नई दिल्ली में पढ़ाती हैं। उनका यह आलेख इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली में 3 अगस्त, 2013 को प्रकाशित हुआ था।*

वर्ष 2012 की नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट से यह जाहिर हो जाता है कि देश में महिलाओं के लिए बने कानूनों पर भरोसा बढ़ने के बजाय घटा ही है। ये कानून स्त्रियों के जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा कर पाने में अपेक्षाकृत निष्फल साबित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के वास्तविक आंकड़े तक उपलब्ध नहीं हो पाते क्योंकि कई अपराधों को अभी तक मान्यता ही नहीं दी गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का जो खांचा खींचा गया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेषकर बलात्कार और ऑनर किलिंग जैसे मामलों पर सरकार और आम लोगों की मानसिकता निराश कर देने वाली है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि देश में 1971 से लेकर 2012 तक बलात्कार के मामलों में 902 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। स्त्रियों के शरीर और मन से खिलवाड़ करने के कुत्सित अपराध में इस भयानक वृद्धि ने कई और सामाजिक और पारिवारिक कुरीतियों को जन्म दिया है। 2011 से लेकर 2012 तक के केवल एक साल की अवधि में ही बलात्कार के मामलों में 700 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वैसे ये आंकड़े जिस तरह से जुटाये जाते हैं उसे देखते हुए इसकी वास्तविकता कहीं अधिक हो सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक अपराध अपने आप में कई अपराधों को समेटे होता है। एफआईआर में उसी अपराध को प्रमुखता दी जाती है जो सबसे ज्यादा महत्व का होता है। यानी बलात्कार के बाद यदि महिला की हत्या कर दी जाती है तो इसमें हत्या का मामला प्रमुख हो जाता है और बलात्कार की गंभीरता कम हो जाती है। ऐसे में आंकड़े जुटाते समय इस अपराध को हत्या की श्रेणी में गिना जाता है न कि बलात्कार की श्रेणी में। इसका ज्वलंत उदाहरण है 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में चलती बस में हुआ गैंगरेप जिसमें बुरी तरह जख्मी युवती की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। सामूहिक बलात्कार की इस घटना ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था और बलात्कारियों के खिलाफ एक लहर सी चल पड़ी थी लेकिन अफसोस कि सरकारी आंकड़ों में उस घटना को हत्या की श्रेणी में रखा गया न कि बलात्कार की श्रेणी में। हां इतना

अनुशंसाएं

-राष्ट्रीय महिला आयोग और एडवा जैसे संगठनों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ऑनर किलिंग के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाय।

-हर व्यक्ति को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है और इसे बहाल करने के लिए कानून को मजबूत बनाना होगा।

-अपनी पसंद से विवाह करने वाले युवक-युवतियों को प्रताड़ित करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान हो।

-अपहरण या अगवा करने के गलत आरोपों का सामना करने वाले युवकों को सुरक्षा प्रदान की जाय।

-घरवालों के भय से भागने वाले युवा जोड़ों के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था की जाय। हरियाणा में ऐसे कुछ आवास बनाये भी गये हैं।

-लड़के-लड़कियों की हत्या को सम्मान के नाम पर मौत कहने वालों और खाप पंचायतों को सख्त सजा का प्रावधान हो।

-जो वयस्क युवक या युवती विवाह करना चाहते हैं उन्हें तुरंत विवाह की इजाजत दी जाय। वर्तमान में विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के इच्छुक जोड़ों को आवेदन देने के बाद एक माह का इंतजार करना पड़ता है।

-जिन क्षेत्रों में ऑनर किलिंग के मामले ज्यादा सामने आते हैं वहां के थानों को इनसे निबटने के लिए विशेष तरीके अपनाने चाहिए।

गौर कीजिए

पिछले साल देश के अठारह राज्यों ने केंद्र के साथ मिलकर एक मजबूत कानून बनाने की पहल की है।

जरूर हुआ कि राष्ट्रीय राजधानी में हुए इस वीभत्स कांड के बाद सरकार की नींद थोड़ी खुली और अब लड़कियों का पीछा करना, सामूहिक बलात्कार और तेजाब हमले जैसी वारदातों को भी क्रिमिनल लॉ संशोधन कानून, 2013 के जरिये कानून में जगह दी गई है। हालांकि अभी भी सम्मान के नाम पर औरतों को दी जाने वाली मौत की सजा को कानून ने मान्यता नहीं दी है। नतीजा देश में ऐसे अपराधों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है लेकिन न सरकार चेत रही है और न जनता। और तो और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की बढ़ती घटनाओं को बेहतर जागरूकता और मीडिया कवरेज से जोड़ कर देखा जाने लगा है। सरकार में ही बैठे कुछ लोग यह कहने से नहीं चूकते कि घटनाएं नहीं बढ़ी हैं बल्कि वे ज्यादा संख्या में सामने लाई जाने लगी हैं। कुछ हद तक यह बात सही है लेकिन पूर्णतः सत्य भी नहीं है।

ऑनर किलिंग और राज्य का हस्तक्षेप

16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली की पारामेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद भले ही देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व आंदोलनों का दौर चल पड़ा था लेकिन तब यह कहने वाले भी पीछे नहीं थे कि आखिर वह लड़की रात को एक लड़के के साथ वहां कर क्या रही थी। यहां तक कि ऐसा बयान दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री और अन्य आला अधिकारियों ने भी तोड़-मरोड़ कर दिया। 13 दिनों तक अपने जख्मों से लड़ने वाली वह लड़की होश में आने पर पुलिस से कहती कि उसके परिवार को इसके बारे में न बताया जाय और हमेशा अपने साथी के बारे में पूछती लेकिन उसके साथी के परिवार वाले चाहते थे कि उनके बेटे को दिल्ली छोड़कर गोरखपुर जाने की इजाजत दे दी जाय ताकि वह पीड़िता और उसके बारे में पूछे जाने वाले सवालों से बच जाय। पीड़िता की मौत के बाद ये खबर भी आई कि दोनों की सगाई तय हो चुकी थी लेकिन दोनों ही परिवारों ने इसका खंडन कर दिया। शायद इसलिए कि दोनों अलग-अलग जाति के थे। तो क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है कि न तो एक मरती हुई लड़की इसके खौफ से निकल सकी और न ही समाज उसके साथ न्याय कर सका।

अपनी जाति और बिरादरी के बाहर शादी करने वाले युवाओं के साथ होने वाले अत्याचार की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि के बाद भी सरकारें मौन हैं। तमिलनाडु में एक दलित युवक इलावरसन ने अपने से ऊंची जाति की लड़की दिव्या से शादी तो वहां बवाल मच गया। परिवार और समाज से मान्यता नहीं मिलने के बाद दोनों घर से भाग गये और अगस्त, 2012 में शादी कर ली। समाज का भय और दवाब इतना ज्यादा पड़ा कि दिव्या के पिता ने खुदकुशी कर ली। इतना ही नहीं धर्मपुरी जिले में दलितों के 200 घर जला दिये गये। दबाव बढ़ने पर दिव्या अपने घर लौट आई लेकिन अदालत को बताया कि वह अपनी मर्जी से अपने पति के घर से नहीं आई है। उसके ऐसा कहने के एक दिन बाद ही उसके पति की हत्या कर दी गई। सरकार ने इसके बाद इतना ही किया कि एक कमेटी गठित कर दी। लेकिन जब दिव्या और उसके पति को पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की जरूरत थी तब पुलिस ऐसा कर पाने में पूरी तरह विफल रही। आज स्थिति ये है कि अगर कोई युवा जोड़ा अपनी मर्जी से अपनी बिरादरी के बाहर शादी करना चाहे तो उसे सरकार या कानून की मदद मिलने का कोई भरोसा नहीं रहता। ऐसे युवाओं के लिए बनाया विशेष विवाह कानून भी उनकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि इसमें कम से कम महीने पहले विवाह के लिए आवेदन देना जरूरी होता है। इतना वक्त समाज के ठेकेदारों के लिए काफी होता है और अंतरजातीय विवाह करने के इच्छुक युवक-युवतियों को शादी के पहले ही एक-दूसरे से बहुत दूर कर दिया जाता है। जब तक देश में ऑनर किलिंग को एक पृथक अपराध में देखने की सोच विकसित नहीं हो जाती और इसे अंजाम देने वालों के मन में कानून का खौफ पैदा नहीं हो जाता, युवाओं को बचाया नहीं जा सकता है।

अनुशंसाएं

-सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है कि जहां भी ऑनर किलिंग की वारदात सामने आएगी वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

-अगर कोई पुलिस अधिकारी गलत शिकायत दर्ज करता है या जानकारी देने के बाद भी अपने इलाके में ऑनर किलिंग को नहीं रोक पाता है तो उसे तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए।

-देश में सम्मान के नाम पर होने वाली हत्याओं के आंकड़ों को लेकर एक सर्वे किया जाना चाहिए ताकि पुलिस अधिकारी और सामाजिक संगठनों में इस अपराध के बारे में बेहतर समझ विकसित हो सके।

धर्मपुरी में दंगा फैलने के बाद पुलिस अभिरक्षा में बेसुध एन. दिव्या।

गौर कीजिए

आदिकाल में मेक्सिको की खाड़ी में अवैध संबंधों के कारण औरत की हत्या केवल पति के कहने पर ही की जाती थी।

महिलाओं के लिए विजय का क्षण

दिल्ली गैंगरेप के बाद महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर जस्टिस जे. एस. वर्मा की अनुशंसाओं ने थोड़ी देर के लिए महिलाओं को खुश होने का मौका तो दे ही दिया है। बलात्कार की शिकार लड़कियों और महिलाओं के सम्मान, स्वायत्तत्ता और स्वतंत्रता के लिए 1882 से ही आंदोलन छोटे-छोटे अभियानों की शक्ल में चलाए जाते रहे हैं लेकिन बावजूद इसके स्त्रियों की मर्यादा को तार-तार करने की घटनाओं ने हमें झकझोरना नहीं छोड़ा है। *पेशे से प्रोफेसर कल्पना कन्नाबिरन ने जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट को महिलाओं के लिए विजय का क्षण माना है। वे हैदराबाद स्थित काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट की निदेशक भी हैं। उनका यह आलेख द हिंदू में प्रकाशित हुआ था।*

वो समय जब सुरक्षित दुनिया की कल्पना में जी रहीं महिलाओं को अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए फिर से सड़कों पर उतरना पड़े। वो समय जब हमारी बेटियों को वीभत्स तरीके से नोचा जा रहा हो और हमारे बेटे इसे मर्दानगी दिखाने का सबसे अच्छा तरीका मानने लगें। वो समय जब तमाम बुद्धिजीवी और राजनीतिक प्रयास महिलाओं की आजादी और उनके अधिकारों को समझने में लगे हों और उसके बाद भी यह शब्द केवल लाइब्रेरी में सजी किताबों तक सीमित रह जाय। तब ऐसे समय में जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट और उनकी अनुशंसाओं को औरतों की जीत ही माना जा सकता है। बलात्कार और यौन प्रताड़ना को केवल आपराधिक कानूनों तक ही सीमित न रखकर यह रिपोर्ट एक पूरा सांविधानिक ढांचा तैयार करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यह रिपोर्ट राजनीतिक फ्रेमवर्क भी पेश करती है जिससे सेक्स के आधार पर भेदभाव को आधार बनाते हुए राज्यों से इस बारे में जवाब तलब किया जा सके।

पूरी कवायद का मकसद महिलाओं के सम्मान और आजादी की रक्षा करना है। इसके लिए कानूनों में बदलाव, संशोधन, नीतियों के निर्धारण, आपराधिक कानूनों और सशस्त्र सेना कानूनों में संशोधन या बदलाव भी किये जा सकते हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि परंपराओं का अंतिम लक्ष्य संविधान के तहत समानता, सहानुभूति और सम्मान सुनिश्चित करना है, कमिटी ने नाज फाउंडेशन के निर्णय को दोहराते हुए 'सेक्स' को धारा 15 के तहत परिभाषित किया है और मौलिक अधिकारों व आजादी को लिंग के भेदभाव से परे महिला और पुरुष की भावना से उठकर अनिवार्य घोषित किया है। देश में पिछले दिनों घटित अहम घटनाओं चाहे वह मथुरा की घटना हो या अन्य ऑनर किलिंग के मामले, महिला संगठनों की आवाज को मान्यता देते हुए कमेटी ने कहा है " महिलाओं को शर्म और मर्यादा की चक्की में इस तरह पीसा गया है कि अपने खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की शिकायत करने तक में वे जन्म से ही अक्षम हो गई हैं।"

ऑनर किलिंग को हत्या नहीं मानते लोग ?

ऑनर किलिंग को अंजाम देने वाले लोगों की नजर में यह हत्या नहीं है। लगभग सभी समाजों में परिवार की इज्जत का भार महिलाओं के कंधे पर डाल दिया जाता है। अब अगर समाज द्वारा तय मानकों के मुताबिक किसी स्त्री का व्यवहार या आचार नहीं होता तो उसके लिए सीधे-सीधे उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और सजा के तौर पर मृत्युदंड दे दिया जाता है। 99 फीसद मामलों में स्त्री को मारने वाले उसके परिवार वाले होते हैं। ये मां-बाप मानते हैं कि यदि उन्हें अपने बच्चे को जन्म देने का अधिकार है तो उसकी जान लेने का अधिकार भी उन्हीं को है। ऐसे में यदि उनकी बेटियों या बहुओं का आचरण समाज की मान्यता के विरुद्ध होगा तो उसे सजा दिया जाना न्यायोचित होना चाहिए।

गौर कीजिए

1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऑनर किलिंग से निबटने के लिए एक इकाई का गठन किया था।

प्रस्तावित बिल

सम्मान के नाम पर अपराध पर लगे रोक

समाज और परिवार की इज्जत के नाम पर स्त्रियों की जान ले लेना हमारे देश की लगभग हर पंचायत और समाज के ठेकेदारों का काम रहा है। कोई कानून और कोई अदालत न तो उन्हें रोक पाती है और न ही उनका खात्मा कर पाती है। ऐसे में इस दिशा में काम कर रहे सामाजिक संगठनों और महिला आयोग ने एक ऐसे कानून की जरूरत समझी जिसके तहत ऑनर किलिंग को अपराध माना जाय और उसके आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाय। उनके द्वारा प्रस्तावित सम्मान और परंपरा के नाम पर अपराध की रोकथाम विधेयक, 2012 के तहत जिन बिंदुओं की चर्चा की गई उनमें मुख्य रूप से ये शामिल हैं :

- इस कानून को सम्मान एवं परंपरा के नाम पर अपराध की रोकथाम बिल, 2010 के नाम से जाना जाय।
- सभी वयस्क लोगों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपनी मर्जी से जीवन जीने और भावनाओं को व्यक्त करने, संबंध बनाने और जीवनसाथी चुनने का अधिकार है।
- कोई भी व्यक्ति चाहे वह पीड़ित के परिवार का सदस्य हो, समाज का हो या जाति का, किसी महिला या पुरुष या दोनों की हत्या करता है, उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है या उन्हें आत्महत्या करने या अन्य तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है, को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- इस कानून के तहत किसी महिला या पुरुष को मौत की सजा सुनाये जाने के वक्त मौजूद सभी लोग चाहे वे किसी समूह, जाति या समुदाय और परिवार के हों, को हत्या को दोषी माना जाना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह चाहे वो पीड़ित के परिवार का सदस्य हो अथवा अन्य किसी प्रकार के समूह का सदस्य हो, यदि महिला या उसके साथी को उनके अधिकारों को अपनाने से रोकता है या उसमें खलल डालता है तो उन्हें कम से कम एक साल और अधिकतम दस साल की कैद और जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए।
- यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को उनके परिवार या समाज या पंचायत या अन्य किसी समूह द्वारा दी गई सजा को उचित ठहराता है या उसका प्रचार-प्रसार करता है तो उस व्यक्ति को दो साल तक की सजा और जुर्माना दिया जाना चाहिए।
- यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 4, 5, और 6 के तहत मामला दर्ज किया जाता है तो अपराध में अपनी संलिप्तता न होने का प्रमाण जुटाने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होगी।
- यदि किसी जिलाधिकारी या अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि उसके इलाके में किसी समूह में धारा 4,5 और 6 के तहत अपराध होने या करने की साजिश चल रही है तो उस अधिकार को यह अधिकार है कि वह उक्त समूह पर प्रतिबंध लगा दे या उनकी बैठकों पर नियंत्रण करे।

इस कानून के तहत निम्न प्रकार की स्थिति में स्त्री या पुरुष या दोनों को दी जानी वाली हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातना को दंडनीय माना जाना चाहिए :-

1. अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने वाले जोड़ों को आपस में भाई-बहन घोषित कर देना, बशर्ते कि वे एक ही माता-पिता की प्राकृतिक संतान न हों।
2. ऐसे जोड़ों और उनके परिवारों को गांव या जिस क्षेत्र में वे रहते हों, से बहिष्कृत कर देना।
3. अपनी पसंद से विवाह करने वाले स्त्री और पुरुष या उनसे संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना ठोंकना।
4. संबद्ध स्त्री या पुरुष से जुड़े लोगों या उनके परिवारों का सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देना और उनका समाज में हुक्का पानी बंद कर देना।
5. संबद्ध परिवारों को उनकी जमीन और संपत्ति से बेदखल कर देना।
6. शादी करने वाले जोड़ों को साथ रहने नहीं देना, उन्हें प्रताड़ित करना और उनके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करना।
7. दोनों व्यक्तियों के परिजनों और स्वयं उनको जान से मारने की धमकी देना।
8. स्त्री अथवा लड़की या लड़के को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना।
9. इस विवाह को खारिज करने और जोड़ों को अलग-अलग करने के लिए उठाया गया कोई भी मनोवैज्ञानिक या कूटतीतिक कदम।

गौर कीजिए

महिला आयोग द्वारा उठाये गये कदमों से उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में ऑनर किलिंग के मामलों में कमी आई थी।

शर्मनाक

मनोज-बबली हत्याकांड

2007 के हरियाणा के मनोज-बबली मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। एक ही गोत्र के युवक-युवतियों के प्यार करने और फिर शादी करने की ऐसी सजा खाप पंचायत ने सुनाई कि सुनने वालों के होश उड़ गये। हालांकि यही वो पहला मामला भी बना जब अदालत ने ऑनर किलिंग के लिए खाप पंचायत के लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हरियाणा के कैथल जिले के करोरा गांव के रहने वाले मनोज और बबली एक-दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। दोनों के परिवार वाले भी इस बात से वाकिफ थे लेकिन शादी के खिलाफ थे। दोनों को परिवार वालों ने कई बार समझाया और धमकाया भी था। लेकिन मनोज और बबली कहां मानने वाले थे। अप्रैल, 2007 को दोनों ने भागकर चंडीगढ़ में शादी कर ली। मामला खाप पंचायत तक पहुंचा और दोनों की शादी को खारिज करते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। पंचायत के मुताबिक मनोज और बबली दोनों जाट समुदाय के एक ही बनवाला गोत्र से संबंध रखते थे और उनके मुताबिक एक गोत्र के लड़के-लड़कियों में केवल भाई-बहन का संबंध हो सकता है। अपने फैसले के तहत पंचायत ने मनोज के परिवार को बहिष्कृत कर दिया और उनसे संबंध रखने वाले व्यक्ति पर 25 हजार का जुर्माना तय कर दिया। 15 जून, 2007 को मनोज ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दोनों ने मर्जी से शादी की बात स्वीकारी जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को दोनों की सुरक्षा करने का आदेश दिया। पांच पुलिस वालों की अभिरक्षा में मनोज और बबली को चंडीगढ़ ले जाया गया लेकिन रास्ते में पिपली के पास पुलिस ने दोनों का साथ छोड़ दिया। इसके बाद दोनों दिल्ली जाने वाली बस में सवार हो गये। मगर खाप पंचायत उन्हें कहां छोड़ने वाली थी। दोनों का पीछा किया गया और पिपली से बीस किलोमीटर दूर बस को रुकवाकर दोनों को उतार लिया गया और अपहरण कर स्कॉर्पियो कार में ले जाया गया। उधर, बबली के रिश्तेदारों ने मिलकर दोनों की पिटाई की और बबली के सामने मनोज का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। बबली को भी उन्होंने कीटनाशक पीकर जान देने के लिए मजबूर कर दिया। बबली के भाई सुरेश और चाचा राजिन्दर ने मिलकर दोनों के शवों को बांधकर बोरे में डाल दिया और बरवाला लिंक नहर में फेंक दिया। वारदात के नौ दिन बाद 23 जून को खेरी चौकी पुलिस ने दोनों के सड़ चुके शवों को नहर से बरामद किया। मनोज की शर्ट और बबली की पायल को पहचान के लिए रख कर उनकी लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक जुलाई को दोनों के परिवार वालों ने मनोज और बबली के सामानों से उनके लाशों की शिनाख्त की। मार्च, 2010 में करनाल की जिला अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए बबली के भाई सुरेश, चाचा राजिन्दर और बारू राम तथा चचेरे भाइयों सतीश और गौरव को मौत की सजा सुनाई। बनवाला खाप पंचायत के सरपंच गंगा राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाई ने खोदी बहन की कब्र

अक्टूबर, 2013 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के किकराना गांव की 15 साल की ताहिरा को उसके बड़े भाई और चाचा ने मिलकर मौत की नींद सुला दी। भाई ने उसके लिए कब्र तैयार की और लाश को दफना दिया। ताहिरा की गलती यही थी कि उसे अपनी बड़ी बहन के होने वाले पति से प्यार हो गया था। ताहिरा के चाचा सलीम ने सम्मान के नाम पर की गई इस हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। ताहिरा को उसके माता-पिता ने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे सहारनपुर से चंडीगढ़ के पंचकुला स्थित खंगेसरा गांव स्थित चाचा सलीम के घर भेज दिया गया। सलीम के मुताबिक जब वहां भी ताहिरा नहीं मानी तो उसने और ताहिरा के बड़े भाई ने मिलकर ताहिरा को मार डाला। दोनों ने पहले तकिये से उसका गला घोंट दिया और उसके बाद भाई ने कब्र खोद कर उसे दफना दिया। दूसरी ओर, सहारनपुर में ताहिरा के पिता शौकीन ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन छानबीन में पुलिस जल्दी ही इस सच्चाई तक पहुंच गई कि पूरी साजिश शौकीन और उसके भाई सलीम ने मिलकर रची थी। सितम्बर, 2014 में दोनों भाइयों को पंचकुला जिला जज ने मौत की सजा सुनाई लेकिन जनवरी 2015 में हाईकोर्ट ने दोनों की सजा को कम करते हुए उम्रकैद में बदल दिया। दोनों अभियुक्तों ने अपने अपराध को रेयरेस्ट ऑफ दि रेयर की श्रेणी में नहीं माना और अदालत ने मजबूत प्रमाणों के अभाव में दोनों की मौत की सजा कम कर दी।

(डेली भास्कर, 28 अक्टूबर, 2013)

गौर कीजिए

2010 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर ऐसे मामलों पर रोक लगाने को कहा था।

शर्मनाक

मां-बाप ने ले ली बेटी की जान

मदुरई की 21 साल की शशिकला को उसके अपने ही जन्मदाताओं ने मार डाला। 20 अक्टूबर, 2013 को पारामकुदी तालुक के विलाथुर गांव में शशिकला की लाश उसके घर से बरामद की गई। मरने के पंद्रह मिनट बाद ही उसके मां-बाप ने लाश को अपने घर के पिछवाड़े में दफनाने की कोशिश की लेकिन एक ग्रामीण की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शशिकला के अधजले शव को बरामद कर लिया। इमानेश्वरम पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी एन. सुरेश बाबू ने कहा कि जब वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो परिवार के सारे लोग भाग चुके थे। उन्होंने लड़की के आधे जले हुए शव को ऑटोप्सी के लिये भेज दिया।

हिन्दू जाति की शशिकला ने अपने परिवार के विरोध के बीच 11 अटूबर को दलित युवक कोट्टईसामी ने सथिराकुडी के एक मंदिर में शादी कर ली थी। दोनों मुथुकुलाथुर कॉलेज एक साथ पढ़ते थे और दो साल से एक-दूसरे से प्यार करते थे। जब मां-बाप ने शशिकला की शादी कहीं और ठीक कर दी तो दोनों ने चुपके से शादी कर ली और धरापुरम चले गये। शशिकला के पिता ने अपनी बेटी के गुम होने की प्राथमिकी दर्ज कराई लेकिन तभी उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी धरापुरम में है। कोट्टईसामी के रिश्तेदार ने बताया कि शशिकला के पिता पूर्व सरपंच नारायणन के साथ धरापुरम पहुंचे और जबरन उसे अपने साथ लेकर चले गये। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया जहां से शशि को अपने मां-बाप के पास भेज दिया गया। 20 अक्टूबर को पुलिस को पता चला कि शशि ने जहर खाकर जान दे दी है और उसकी लाश को दफनाने की कोशिश की जा रही है। जब पुलिस शशि के घर पहुंची तो घरवाले फरार हो चुके थे। गांववालों ने बताया कि शशि ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मां-बाप ने उसकी हत्या कर दी है।

(इंडियन एक्सप्रेस, 21 अक्टूबर, 2013)

भाई ने दी सुपारी

देवास जिले में बीस दिनों से लापता एक नाबालिग लड़की का शव कुएं से बरामद किया गया। 18 अक्टूबर, 2013 को शव की बरामदगी के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश को कई टुकड़ों में काटकर एक बोरे में बंद कर दिया गया था जबकि बोरे में कई पत्थर भी बांध दिये गये थे ताकि लाश तैर कर ऊपर न आ सके। शक के आधार पर लड़की के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने पांच लड़कों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने बताया कि लड़की का किसी लड़के से संबंध था और भाई ने हत्या के लिए उन्हें पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी।

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 19 अक्टूबर, 2013)

निधि-धर्मेन्द्र हत्याकांड

हरियाणा की खाप पंचायतें पूरी तरह स्वछंद हैं और उन पर किसी कानून और संविधान का असर नहीं होता यह जाहिर करने के लिए आये दिन यहां होने वाले ऑनर किलिंग के मामले पर्याप्त हैं। सितम्बर, 2013 को रोहतक के घरनावथी में प्यार करने वाले एक जोड़े की नृशंस हत्या ने एक बार फिर पूरे देश के सामने खाप पंचायतों की गुंडागर्दी को खोलकर रख दिया। इस बार इसके शिकार बने निधि बराक और धर्मेंद्र बराक। 20 साल की निधि और 23 साल के धर्मेंद्र एक-दूसरे को बहुत चाहते थे और खाप व समुदाय की धमकियों के बाद भी शादी करने पर आमादा थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हूडा के गृह जिले में हुई निधि और धर्मेंद्र की हत्या ने पूरी हरियाणा को देश के सामने शर्मसार कर दिया।

निधि और धर्मेन्द्र कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हत्या से तीन दिन पूर्व दोनों अपने घर से भाग गये और शादी कर ली। दोनों के पास न तो पैसे थे और न कोई ठिकाना। ऐसे में एक साझा दोस्त के कहने पर वे दोनों वापस आ गये। लेकिन वह दोस्त भी निधि के घरवालों के इशारे पर काम कर रहा था। निधि के घरवालों ने वादा किया कि वे दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दोनों के रिश्ते को भी मंजूरी दे देंगे। भोली-भाली निधि अपने घरवालों के झांसे में आ गई। उसे क्या पता था कि उसके अपने ही सगे उसकी मौत का जाल तैयार कर बैठे हैं। गांव लौटते ही खाप पंचायत के आदेश पर निधि के मां, बाप, भाई और चाचा ने पहले तो दोनों को जी भर कर प्रताड़ित किया और उसके बाद उनकी जान ले ली। दोनों के सिर काट दिये गये और उनके शरीर को भी कई हिस्सों में काट दिया गया। धर्मेंद्र के सिर और टुकड़ों में बंटी उसकी लाश को उसके ही घर के सामने खुलेआम फेंक दिया गया। निधि के पिता एक दबंग बिजनेसमैन थे जबकि धर्मेन्द्र के पिता साधारण किसान सो किसी ने भी दोहरे हत्याकांड के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई।

(द हिंदू, 20 सितम्बर, 2013)

गौर कीजिए

हरियाणा के पांच सबसे बड़े खाप पालम, सोनीपत, हिसार, झारसा और झज्जर में हैं और प्रत्येक के तहत 360 गांव आते हैं।

जहर देकर मार डाला

तमिलनाडु के थुट्टूकुडी जिले में अपनी 17 साल की बहन की दो भाइयों ने मिलकर हत्या कर दी क्योंकि वह एक दलित युवक से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। सिवालापुरी की रहने वाली गोमती पुथुकोट्टई इलाके में स्थित एक मिल में काम करने जाती थी जहां उसे अपने साथ काम करने वाले 22 साल के मुरुगन से प्रेम हो गया। गोमती के भाइयों को पता चला तो उन्होंने उसका जोरदार विरोध किया। आखिर में गोमती अपने घर से भाग गई और मुरुगन से शादी कर ली। तब गोमती के भाइयों ने एक खतरनाक साजिश रची और गोमती को यह कर अपने साथ ले गये कि वे जल्दी ही अच्छे ढंग से दोनों की शादी करा देंगे। अगले ही दिन यह खबर आई कि गोमती ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस जांच में यह जाहिर हो गया कि गोमती को जहर देकर मार डाला गया और उसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया। पुलिस ने गोमती के दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया।

(इंडियन एक्सप्रेस, 14 सितम्बर, 2013)

बेटे की प्रेमिका को जिंदा जलाया

जून, 2013 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के करहकोल गांव में 19 साल की अंजू यादव को गांव की अदालत के आदेश के बाद जिंदा जला दिया गया। अंजू का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी ही जाति और अपने ही गांव के युवक 21 साल के रंजीत यादव से प्रेम किया था और उससे शादी करना चाहती थी। अंजू की मां ज्ञानवती देवी अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी और इसलिए रंजीत के पिता के पास दोनों का रिश्ता मंजूर करने की विनती लेकर गई थी लेकि रंजीत के पिता जयहिंद यादव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद ज्ञानवती अपनी बेटी की खुशी की फरियाद लेकर गांव पंचायत के पास गई लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। जयहिंद और पंचायत दोनों का मानना था कि एक ही गांव के युवक-युवतियों में शादी नहीं हो सकती। पंचायत द्वारा दोनों का रिश्ता खारिज होते ही रंजीत के पिता अंजू के घर गये और उसे जिंदा जला दिया। लपटों में घिरी अंजू ने चिल्लाते हुए छत से छलांग लगा दी जिससे उसके हाथ की हड्डियां टूट गईं। वह 85 फीसद तक जल चुकी थी और अस्तपताल पहुंचने के बाद उसने दम तोड़ दिया। जाति और सम्मान के नाम पर समाज ने एक और लड़की की बलि ले ली।

(डेली मेल, 15 जून, 2013)

आरुषि-हेमराज हत्याकांड

2008 में नोयडा के आरुषि हत्याकांड ने ऑनर किलिंग के पहरेदारों के कान खड़े कर दिये। 14 साल की आरुषि तलवार और 45 साल के हेमराज की लाश आरुषि के ही घर से अलग-अलग दिन बरामद हुई थी। इस हाईप्रोफाइल मामले में आरुषि के माता-पिता पेशे से दंत चिकित्सक राजेश और नुपुर तलवार ने पहले तो नौकर हेमराज को ही आरुषि की हत्या के लिए कसूरवार ठहराया लेकिन अगले ही दिन घर की छत से मिली हेमराज की लाश ने मामले को बेहद गंभीर बना दिया। पुलिस छानबीन में पता चला कि दोनों की हत्या 15-16 मई की रात को की गई थी। दोनों की हत्या की परिस्थितियों और राजेश व नुपुर के संदिग्ध बयानों के बाद पुलिस ने आरुषि के माता और पिता को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर दर्ज किया। मीडिया में इस मुद्दे को उठाये जाने के बाद तेजी से हुई जांच में मामले के ऑनर किलिंग से जुड़े होने की बात भी सामने आने लगी। पुलिस को संदेह था कि राजेश तलवार ने बेटी आरुषि और नौकर हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था जिसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और एक के बाद एक दोनों की हत्या कर दी। ऊंची पहुंच वाले तलवार दंपति को पकड़ पाने में पुलिस की असमर्थता को देखते हुए मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद नवम्बर, 2013 में अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने 210 पेज के आदेश में कोर्ट ने माना कि तलवार दंपति के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जो उन्हें हत्यारा साबित कर सके लेकिन कई ऐसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजेश और नुपुर ने मिलकर अपनी बेटी की हत्या की है।

(रेडिफ.कॉम, 27 नवम्बर, 2013)

गौर कीजिए

खाप पंचायतें हरियाणा के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सक्रिय हैं जहां जाटों की आबादी अधिक है।

बिहार में ऑनर किलिंग

बेरहमी से पीटकर लड़के को मारा

इंटरमीडियट की छात्रा और बी.ए. के छात्र को दोस्ती करना इतना महंगा पड़ा कि लड़के को जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। रोहतास जिले के डेहरी में न्यू एरिया क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की इस लड़की के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वह बस कंडक्टर के बेटे से दोस्ती रखे। जब दोनों नहीं माने तो मार्च 2013 को लड़की के घर वालों ने उसे एसएमएस कर लड़के को बुलाने के लिए दवाब डाला। लड़की का मैसेज पाकर लड़का ज्योंही उसके घर पहुंचा लड़की के पिता व अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर लड़की की बुरी तरह पिटाई कर दी। इतना ही नहीं लड़के को घसीटते हुए वे उसे घर के बाहर ले आये और चोर बताकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने पीट-पीटकर लड़के को मार डाला। लड़की के पिता और दो रिश्तेदारों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतास एसपी मनु महाराज ने बताया कि लड़की के बयान पर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया।

(हिन्दुस्तानटाइम्स.कॉम, 24 मार्च, 2013)

बेटी को आग लगाकर मार डाला

सितम्बर, 2014 को आरा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के अहिलेपुर नहर के पास 20 वर्षीय युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। किसी को नहीं पता था कि वह युवती कौन है और उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन दो दिन बाद ही पुलिस को यह समझने में देर न लगी कि पूरा मामला ऑनर किलिंग का था। लाश 20 साल की प्रीति का था जिसे उसके पिता ने आग लगाकर मार डाला था। बताया जाता है कि प्रीति की शादी बछियांव गांव के संतोष कुमार से कर दी गई थी लेकिन शादी के कुछ ही दिन के बाद वह ससुराल से लौट आई थी और वापस जाने को तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर प्रीति के माता-पिता उसके साथ मारपीट भी करते थे। 26-27 सितम्बर की रात पिता ने प्रीति के शरीर पर किरासन तेल छिड़ककर आग लगा कर उसे मार डाला और प्रमाण मिटाने के लिए लाश को अहिलेपुर नहर में फेंक दिया। छानबीन के क्रम में पुलिस को पता चला कि मामला ऑनर किलिंग का है।

(समयलाइव.कॉम, 2 अक्टूबर, 2014)

गौर कीजिए

देश में एक सर्व खाप है जिसके अंतर्गत सारे खाप आते हैं।

बिहार में ऑनर किलिंग

दो मासूम बच्चों के साथ मार डाला

बिहार के कैमूर जिले में घर और समाज का विरोध कर शादी करने का जुर्माना पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। दिलारू बिंद, उसकी पत्नी रानी और दो बच्चों, तीन साल की बेटी और छह महीने के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया जिसमें दिलारू और दोनों बच्चों की मौत हो गई जबकि रानी मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई। रानी ने पुलिस को बताया कि उसने घरवालों की मर्जी के खिलाफ दिलारू से शादी की थी जिसके कारण उसके ही रिश्तेदारों ने उसके पति और बच्चों की जान ले ली। नवम्बर, 2012 में हुए इस वारदात ने बिहार में ऑनर किलिंग का वजूद सामने लाकर रख दिया। रानी और दिलारू ने चार साल पहले घर से भाग कर शादी कर ली थी और हाल ही में गांव लौट कर आये थे। लेकिन घर लौटने के साथ ही उसके घर वालों ने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनपर हमला कर दिया। रानी ने घर की छत से कूद कर अपनी जान बचा ली लेकिन उसके पति और दोनों बच्चों को लोगों ने पीटकर मार डाला।

(बीबीसी न्यूज, 19 नवम्बर, 2012)

फगवाड़ा में बिहार के युगल की हत्या

बिहार के जहानाबाद से भागकर आये 23 साल के कमलेश और 20 साल की खुशबू के लिए पंजाब के फगवाड़ा का एक फार्म हाउस कब्रगाह बन गया। कमलेश यादव जाति का था जबकि खुशबू ब्राह्मण और दोनों का मिलना-जुलना उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। घरवालों से डरकर दोनों पंजाब भाग गये और वहां कोर्ट मैरिज करने के बाद फगवाड़ा के महेरू स्थित एक फार्म हाउस में काम करने लगे। करीब आठ महीने बाद खुशबू के पिता अरविंद शर्मा ने फार्म हाउस पहुंचकर घर की छत पर सो रहे खुशबू और कमलेश को मार डाला। एसएसपी राम सिंह के मुताबिक दोनों के गले को काट डाला गया था। पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए दोषी अरविंद शर्मा के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की।

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 18 जनवरी, 2010)

पति-पत्नी को भाइयों ने जिंदा जलाया

बिहार के मुजफ्फरपुर में मई, 2012 में एक विधवा के पुनर्विवाह करने से उसके परिवार वाले इतने नाराज हो गये कि महिला और उसके पति दोनों को जिंदा जला दिया। जिले के रक्षा बसतपुर गांव में 30 साल की राजकुमारी उर्फ राधा देवी के पास में रहने वाले एक चाय वाले से विवाह कर लेने से नाराज उसके भाइयों ने दोनों पति-पत्नी को पहले तो जी भर कर पीटा और उसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। गांव वालों के अनुसार राधा के भाई ने एक हफ्ते पहले ही दोनों को जान से मारने की धमकी दी थी। मुजफ्फरपुर के एसएसपी के मुताबिक स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने के बाद पुलिस वहां पहुंची। यह मामला ऑनर किलिंग का था और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से दोनों को जला दिया गया था। पुलिस को शक था कि दोनों की हत्या का निर्णय गांव की पंचायत में लिया गया था क्योंकि घटना के बाद गांव के ज्यादातर पुरुष फरार हो गये थे जबकि महिलाएं और बुजुर्ग कुछ भी बताने से परहेज कर रहे थे। (रेडिफ.कॉम, 15 मई, 2012)

बेटी को ब्लेड से काट कर तेजाब डाला

मुजफ्फरपुर में ही एक सोलह साल की लड़की को पिता और चाचा ने इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया कि रिश्तों के नाम से भी अब वह कांपने लगी है। सुगति कुमारी का दोष इतना ही था कि वह अपने मां-बाप द्वारा तय किये लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी और किसी दूसरे व्यक्ति को जीवनसाथी बनाना चाहती थी। मई, 2013 में जब सुगति घर से फरार हो गई तो परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। जब इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो उसके चेहरे को ब्लेड से काटा गया और उस पर तेजाब छिड़क कर मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया। एडीजी रवींद्र कुमार ने इसे ऑनर किलिंग माना और लड़की के पिता छबीला महतो, बहनोई कृष्णा महतो और दो चाचा नारायण और राजेंद्र महतो को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सुगति जिस रूपेश यादव से प्रेम करती थी वह उससे शादी करने को तैयार नहीं था। रूपेश बेंगलुरू में काम करता था और सुगति उससे मिलने के लिए चेन्नई पहुंच गई थी लेकिन रूपेश ने सुगति के घरवालों को इसकी जानकारी दे दी और उसे लेकर मुजफ्फरपुर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी।

(द हिंदू.कॉम, 11 मई, 2013)

गौर कीजिए

आईपीएसएस के 2007 के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं।

कहानी मुख्तारन माई की

22 जून, 2002 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ जिले के मीरवाला गांव में अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक महिला को सामूहिक बलात्कार जैसी दरिंदगी से गुजरना पड़ा। स्थानीय मस्तोई कबीले के एक घर में महिला को खींचकर लाया गया और चार लोगों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। उस महिला का नाम मुख्तारन माई था जिसकी कहानी ने पाकिस्तान और मस्तोई कबीले की सच्चाई बयां कर दी। जुलाई, 2002 में पंजाब सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी ने यह खुलासा किया कि मुख्तारन के बारह साल के भाई अब्दुल शकूर के साथ कबीले के तीन लोगों ने दुष्कर्म किया था और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा था। लेकिन जब अब्दुल ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन लोगों में से एक ने अब्दुल पर अपनी बहन सलमा से बलात्कार करने का आरोप लगा दिया जो उस समय अब्दुल से छह साल बड़ी थी। मुख्तारन का परिवार इस आरोप से घबरा गया और उसने बेटे अब्दुल की शादी सलमा से और बेटी मुख्तारन की शादी मस्तोई कबीले के किसी व्यक्ति से करने का प्रस्ताव रखा लेकिन कबीले ने उसे ठुकरा दिया। तब कबीले ने शर्त रखी कि वो मुख्तारन के परिवार को माफ कर सकता है अगर मुख्तारन अपने भाई की ओर से माफी मांगने आये। जब मुख्तारन माफी मांगने गई तो चार मस्तोई लोगों ने उसे घर के अंदर खींच लिया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। शुरूआत में इस पूरे मामले में स्थानीय पंचायत जिरगा की संलिप्तता मानी गई और सामूहिक बलात्कार को जिरगा का फैसला बताया गया लेकिन पुलिस जांच के बाद पता चला कि जिरगा केवल मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में शामिल था और उसने मुख्तारन के साथ बलात्कार का फैसला नहीं सुनाया था। छह दिन बाद मामला दुनिया के सामने तब आया जब स्थानीय मस्जिद ने इस घटना की निंदा की और कुछ पत्रकारों को मुख्तारन से बात करवाने में मदद की। एक

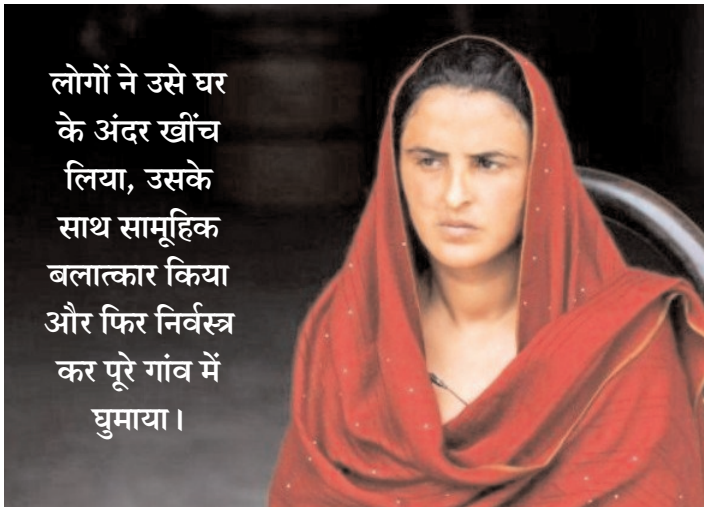

बार कबीले से बाहर आने के बाद खबर आग की तरह फैली और पुलिस ने चौदह लोगों को हिरासत में लिया। निचली अदालत ने इनमें से छह को मौत की सजा सुनाई जबकि आठ को छोड़ दिया गया। मुख्तारन को सरकार की ओर से पांच लाख का मुआवजा दिया गया जिससे उसने एक स्कूल खोला। अन्य देशों में खबर के पहुंचने के साथ ही उसे और सहायता मिलने लगी जिसके बाद उसने एक और स्कूल की स्थापना की।

वर्ष 2005 में जब मुख्तारन को प्रताड़ित करने वाले कुछ अन्य लोग जमानत पर रिहा होकर आये तो कोर्ट ने उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी। उनमें से एक पुलिसकर्मी नासिर अब्बास गबौल को मुख्तारन से प्रेम हो गया। 2008 में उसने अपने प्रेम का इजहार किया जिसे मुख्तारन ने ठुकरा दिया क्योंकि नासिर पहले से ही शादीशुदा था। मुख्तारन के इंकार से दुखी नासिर ने आत्महत्या की कोशिश की जिसके बाद नासिर की पत्नी शुमाएला ने मुख्तारन से अपील की कि वह नासिर से शादी कर ले। मुख्तारन ने शुमाएला के अनुरोध को मान लिया लेकिन इस शर्त के साथ कि नासिर कुछ शुमाएला के नाम कर देगा और उसे हर महीने दस हजार रुपये खर्च के लिए देगा।

(दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून, 22 अप्रैल, 2011)

कनाडा में नृशंस हत्याकांड

संकुचित मानसिकता और शकी मिजाज के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जायें, खुद को विकसित नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला जब अफगानिस्तान से आप्रवास कर कनाडा पहुंचे एक मुस्लिम परिवार ने झूठी इज्जत की खातिर अपनी तीन युवा बेटियों और पत्नी की हत्या कर दी। 30 जून, 2009 को ओंटारियो के किंग्सटन में साफिया बहनों 19 साल जेनब, 17 साल की सहर और 13 साल की गीति की उनकी सौतेली मां रोना अमीर मोहम्मद के साथ एक कार में बंद लाश एक नहर में मिली तो लोगों ने इसे सामान्य दुर्घटना ही माना लेकिन पुलिस छानबीन में जो बात सामने आई उससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गये। तीनों लड़कियों और उनकी सौतेली मां की हत्या कर उनकी लाश को गाड़ी में रखकर उसे नहर में धकेल दिया गया था और इसे अंजाम दिया था लड़कियों के पिता और भाई ने। अदालत ने पाया कि पिता और भाई को लड़कियों के स्कर्ट पहनने, इंटरनेट का इस्तेमाल करने और स्थानीय लड़कों से दोस्ती करने पर आपत्ति थी और उन्हें ये सब अपने खानदान की इज्जत पर कलंक जैसा लगता था। अदालत ने मोहम्मद साफिया, उसकी दूसरी पत्नी तूबा याहिया और बेटे हामिद को उम्रकैद की सजा सुनाई। (दि गार्जियन, 2009)

गौर कीजिए

एफबीआई के मुताबिक 2008 में अमेरिका में कुल 14,180 लोगों की हत्याएं हुईं जिनमें से 930 महिलाएं और लड़कियां थीं जिनकी हत्या परिजनों ने की।

आंकड़ों की जुबानी

जिंदगी देने का नहीं लेने का सबब बन गया प्यार

प्यार को यूं तो उम्र बढ़ाने वाला माना जाता है लेकिन हमारे देश में यह जिंदगी लेने का सबब ज्यादा बनता जा रहा है। घरवालों की मर्जी के खिलाफ प्यार करने, अपना जीवनसाथी खुद चुनने और अवैध सेक्स संबंधों के कारण होने वाली हत्याओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2012 में आई नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की मानें तो उस वर्ष देश में हुई कुल हत्याओं में प्यार और सेक्स संबंध तीसरे सबसे बड़े कारण रहे। उनमें भी आंध्र प्रदेश उन राज्यों में अव्वल रहा जहां सबसे ज्यादा लोगों को प्यार करने की सजा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में सबसे ज्यादा हत्या निजी विवादों को लेकर हुईं जिनकी संख्या 3,877 रही जबकि संपत्ति विवाद दूसरे स्थान रहे जिनके कारण 3,169 लोगों की हत्या की गई। वहीं प्रेम और सेक्स संबंधों को लेकर देश में कुल 2549 लोगों की हत्या की गई जो तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 445 हत्याओं के पीछे प्रेम संबंध वजह बने। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 325 और तमिलनाडु में 291 लोगों की हत्या इस कारण से की गई। हालांकि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने आंकड़ों में अवैध संबंधों और ऑनर किलिंग के तहत की गई हत्याओं को अलग-अलग नहीं माना है। जबकि सामाजिक संगठन लगातार इस बात के लिए दबाव डालते रहे हैं कि अपनी जाति और बिरादरी से अलग विवाह करने वाले युवाओं की ऑनर किलिंग के तहत की जानी वाली हत्याओं को अलग श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने वाले नवयुवाओं की मदद करने के लिए लव कमांडो नाम की संस्था चलाने वाले हर्ष मल्होत्रा कहते हैं कि हत्या चाहे ऑनर किलिंग हो या और कोई, गलत है। वे बताते हैं कि उनके पास हर रोज करीब 600 से 700 ऐसे प्रेमी युगलों के फोन आते हैं जिनके परिवार वाले उनके संबंधों का विरोध करते हैं या उन्हें कहीं और शादी करने के लिए दवाब डालते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कॉल आंध्र प्रदेश से होते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से। हरियाणा में 2011 में 50 जबकि पंजाब में 83 युवाओं की हत्या प्रेम संबंधों के कारण हुई। हर्ष के मुताबिक जरूरी नहीं कि हर हत्या के पीछे मां-बाप का ही हाथ हो बल्कि पड़ोसी, रिश्तेदार और बिरादरी वाले भी इज्जत के नाम पर ऐसी हत्याओं को अंजाम देने से नहीं चूकते। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन की महासचित सुधा सुंदरम कहती हैं कि देश में हर साल करीब एक हजार लोगों की हत्या सम्मान के नाम पर कर दी जाती है। वे कहती हैं कि उनका संगठन ऑनर किलिंग को अलग अपराध का दर्जा देने की मांग करता रहा है।

(दिनेशनल.एई)

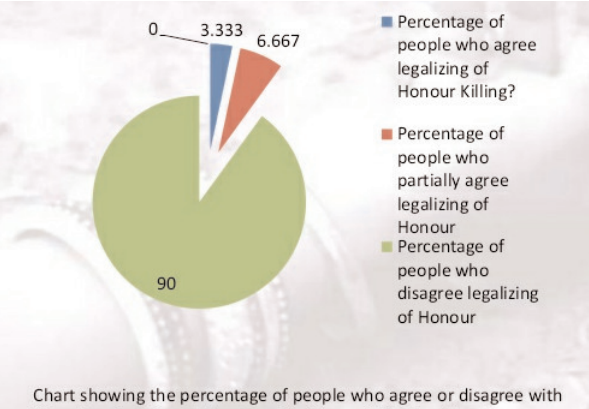

Chart showing the percentage of people who agree or disagree with Khap Panchayat's petition to make honour killing legitimate.

बिहार में संपत्ति विवाद ज्यादा

बिहार में संपत्ति को लेकर हुए झगड़े में सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में संपत्ति विवाद में जितने लोगों की जान गई उनमें से 1159 यानी 36.6 फीसद मौतें बिहार में हुईं। यह आंकड़ा राज्य में हुई कुल हत्याओं का 32.5 फीसद है। राज्य में निजी विवादों को लेकर 570 हत्याएं हुईं जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सर्वाधिक आंकड़ा है। देश भर में सबसे ज्यादा हत्याओं के मामले में भी बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यहां 2011 में 3566 लोगों की हत्या हुई जबकि यूपी में यह आंकड़ा 4966 रहा। वहीं असम में जाति को लेकर सबसे ज्यादा हत्याओं का मामला सामने आता है। दहेज को लेकर महिलाओं की हत्या मामले में भी बिहार देश के अग्रणी राज्यों में है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार में सबसे ज्यादा बहुओं की हत्या दहेज के लिए की जाती है। दुख की बात ये है कि वर्ष 2001 की तुलना में देश में दहेज के लिए की जानी वाली हत्याओं की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। 2001 में जहां देश भर में 968 बहुओं को दहेज के लिए मारा गया था वहीं 2012 में 1458 बहुओं को मार डाला गया। इसी तरह डायन ने नाम पर महिलाओं को मारने की कुप्रथा आज भी कई राज्यों में मौजूद है। इनमें सबसे ज्यादा हत्याएं उड़ीसा में 32, उसके बाद झारखंड में 26, आंध्र प्रदेश में 24 और बिहार में 13 हत्याएं डायन के नाम पर हुईं।

(ईकांतिपुर.कॉम)

गौर कीजिए

प्राचीन रोम में बलात्कार को औरत के लिए बेहद शर्मनाक माना जाता था जबकि ऑनर किलिंग को दयापूर्ण कार्रवाई कहा जाता था।

आंकड़ों की जुबानी

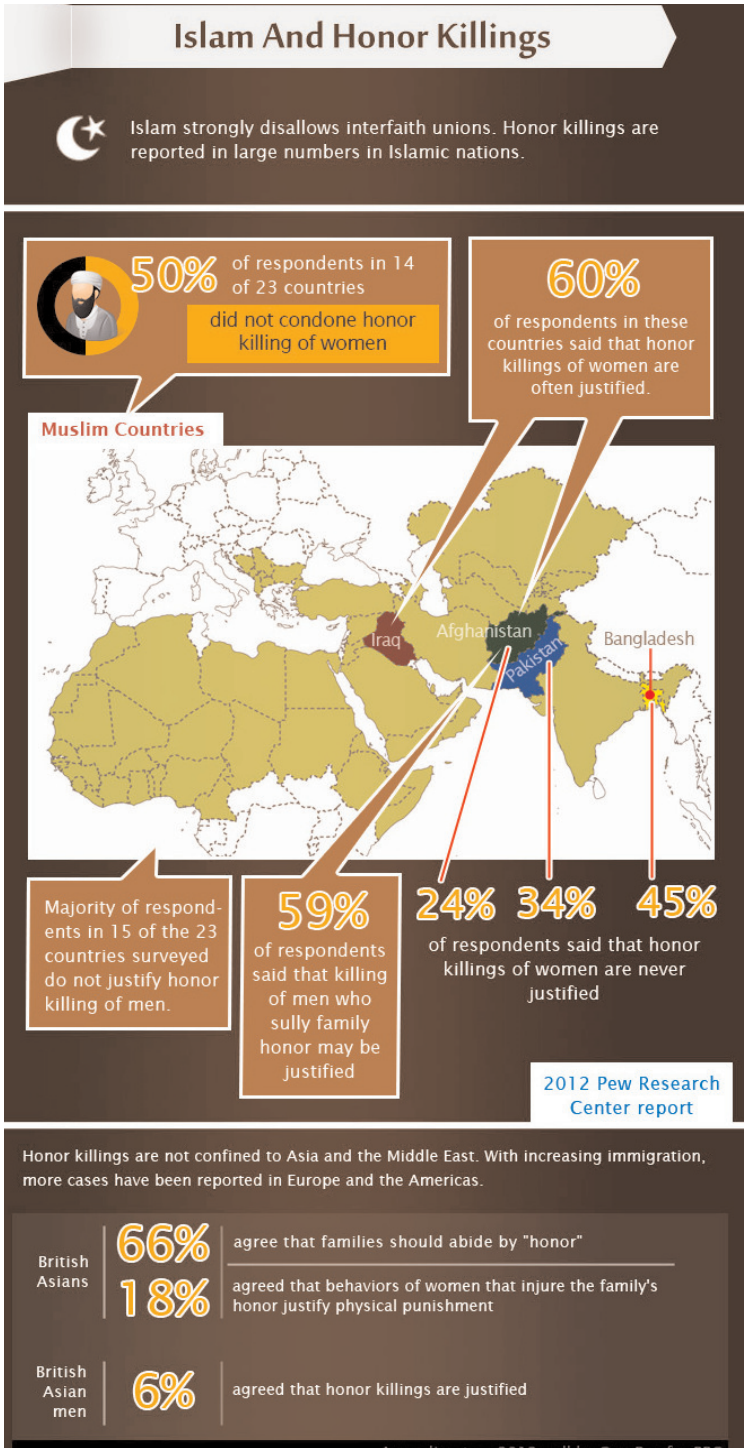

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल ऑनर किलिंग के करीब पांच हजार मामले सामने आते हैं लेकिन महिला संगठनों का मानना है कि दुनिया में सम्मान के नाम पर मारी जाने वाली महिलाओं और पुरुषों की संख्या हर साल बीस हजार से अधिक हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल ऑनर किलिंग के करीब पांच हजार मामले सामने आते हैं। हालांकि इस संख्या पर भारी विरोधाभास है क्योंकि लगभग सभी देशों में ऑनर किलिंग को पीड़ित के परिवार या पंचायत द्वारा अंजाम दिया जाता है और ऐसे में इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है। यही कारण है कि दक्षिण और मध्य एशिया में काम करने वाले महिला संगठनों का मानना है कि दुनिया में सम्मान के नाम पर मारी जाने वाली महिलाओं और पुरुषों की संख्या हर साल बीस हजार से अधिक हो सकती है। ऑनर किलिंग के तहत न केवल हत्या बल्कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को भी शामिल किया जाता है। 2010 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक ऑनर किलिंग के शिकार लोगों की औसत आयु 15 से 25 साल के बीच होती है। वैसे तो ऑनर किलिंग का तात्पर्य महिलाओं की मौत से ही लगाया जाता है लेकिन पुरुषों की हत्या किये जाने के भी कई मामले सामने आते रहे हैं। इनमें भी समलैंगिकता ज्यादातर पुरुषों की मौत का कारण बनती है। वर्ष 2008 में इस्तानबुल में 26 साल के युवक अहमट यिलदिज को उसके पिता ने गोली मार दी थी। इसके पीछे भी समलैंगिकता को ही वजह बताया गया था।

मुस्लिम देशों में ऑनर किलिंग की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं क्योंकि इस्लाम दूसरे धर्मों या जातियों में मिलन को सख्ती से नकारता है। हालांकि 2012 के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मुस्लिम देशों में से 14 देशों के लोगों ने सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या को गलत ठहराया जबकि केवल अफगानिस्तान और इराक के साठ फीसद लोगों ने इसे उचित बताया। 23 में से 15 देशों ने मर्दों को ऑनर किलिंग के तहत दी जाने वाली सजा को न्यायसंगत नहीं ठहराया। हालांकि अफगानिस्तान के 59 फीसद लोगों ने यह माना कि यदि पुरुष परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो उसे भी सजा दी जानी चाहिए।

ऑनर किलिंग को केवल एशिया और मध्य-पूर्व तक ही सीमित नहीं माना जाना चाहिए बल्कि यूरोप और अमेरिकी देशों में भी इसके उदाहरण सामने आते रहे हैं। ऐसा मुख्यतः उन देशों तक होने वाले प्रवास के कारण होता है। 2012 में बीबीसी के लिए कॉमरेस द्वारा किये गये अध्ययन में यह सामने आया कि 66 फीसद ब्रिटिश एशियाई मानते हैं कि परिवार के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए और 18 फीसद मानते हैं कि यदि किसी महिला की वजह से सम्मान को ठेस पहुंची हो तो उस महिला को शारीरिक यातना दी जानी चाहिए। छह फीसद ब्रिटिश एशियाई पुरुषों ने ऑनर किलिंग को जायज ठहराया।

(मैप्सऑफवर्ल्ड.कॉम)

गौर कीजिए

ब्रिटेन में हेनरी अष्टम की पत्नी को अवैध संबंधों के आरोप में मौत की सजा दे दी गई थी।

मंजरी

स्त्री के मन की

आगामी अंक

जेंडर बजट पर विशेष

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने के लिए कृतिदेव फॉन्ट का इस्तेमाल करें और **magazinemanjari@gmail.com** पर भेजें। आपके लेख 1000-1500 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। चूंकि हमारा अगला अंक जुलाई, 2015 में प्रकाशित होगा अतः इसे ध्यान में रखते हुए अपने लेख 25 मई तक भेज दें। आप अपने लेख पत्रिका की वेबसाइट **www.emanjari.com** के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

मुख्य संपादक
नीना श्रीवास्तव

Commemorating Women — the real architects of soceity!

SAGE | 50 YEARS

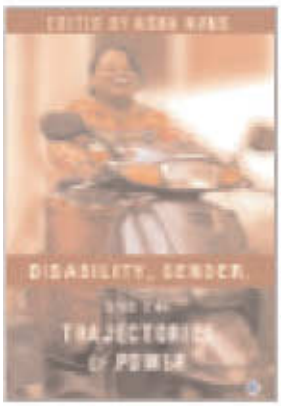

DISABILITY, GENDER AND THE TRAJECTORIES OF POWER

Edited by **Asha Hans**

Arguing for the rights of women with disabilities, who live on the periphery of society, and seeks to eradicate the exclusion and stigma that are part of their lives. The volume brings together the perspectives of academicians and activists in trying to understand the various social issues faced by women with disabilities.

2015 • 292 pages • ₹ 895
Hardback (978-93-515-0123-7)

INTERROGATING WOMEN'S LEADERSHIP AND EMPOWERMENT

Edited by **Smita Goyal**

Looking at gender through multiple lenses, this volume seeks to understand what empowerment really means to women today. It examines the situation of women in, and their contribution to, politics, business, education, social and economic development, the women's movement, health, law, insurgency and the arts.

2015 • 296 pages • ₹ 895
Hardback (978-93-515-0019-7)

TAGORE AND THE FEMININE

A Journey in Translations

Edited by **Malashri Lal**

This book presents a range of Rabindranath Tagore's creative works, including translations of short stories, essays, poems, memoirs, songs and plays from his vast corpus to show his conception of the feminine and gender identity that are relevant even today.

2015 • 312 pages • ₹ 895
Paperback (978-93-515-0067-4)

MY HALF OF THE SKY

12 Life Stories of Courage

Indrani Raimedhi

The 12 women who feature in this book come from diverse backgrounds. The thread that binds their stories is their resolve to change the circumstances of their lives, overcoming tremendous odds, and giving wings to their dreams. They are survivors and pathfinders, doers and dreamers, leaving in their wake singing inspiration and hope.

2015 • 300 pages • ₹ 495
Hardback (978-93-515-0037-7)

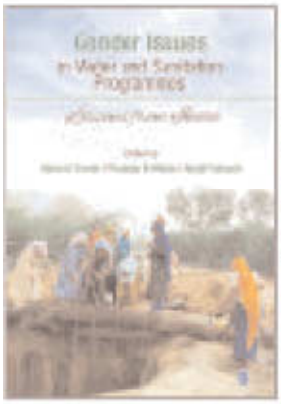

GENDER ISSUES IN WATER AND SANITATION PROGRAMMES

Lessons from India

Edited by **Aidan A Cronin, Pradeep K Mehta** and **Anjal Prakash**

In most societies, women have the primary responsibility for the management of household water, sanitation and health. This book aims to unpack the key elements of the WASH–gender nexus, examine these and recommend ways ahead for improved gender outcomes and WASH impact in India.

2015 • 340 pages • ₹ 995
Hardback (978-93-515-0066-0)

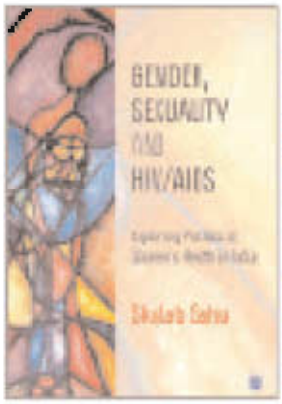

GENDER, SEXUALITY AND HIV/AIDS

Exploring Politics of Women's Health in India

Skylab Sahu

Looking at the issue from a gender and human rights perspective, the book discusses provisions taken by the government in providing health care to patients in India while also examining how this has influenced society's perception of the disease as well as the patients themselves.

2015 • 240 pages • ₹ 895
Hardback (978-93-515-0081-0)

Get an exclusive 20% discount!! Write to *marketing@sagepub.in* with code **MANJARI1**.

www.sagepub.in

Los Angeles • London • New Delhi • Singapore • Washington DC • Boston